जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 145 प्रभात बीकानेर, गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

## 'अरे दीवाने ऐसा काम न कर, राम का नाम बदनाम न कर'

### शशि थरुर का लोकसभा में यह व्यंगात्मक भाषण इस बात का संकेत है कि राहुल की सोच बदल रही है, बगावती से तेवर दिखाने वाले पार्टी के नेताओं के प्रति

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। शशि थरूर ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी नाम हटाने के निर्णय पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए न्यूक्लियर बिल पर भी अपनी बात रखी।

मनीष तिवारी का एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट) पर भाषण सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद प्रभावपूर्ण हमला था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलतियों को उजागर किया और सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम में भाजपा के प्रवेश करने से थरुर को झटका लगा है और वे थोड़े शांत पड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरूर की समस्या के पीछे के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

इस परिदृश्य में पार्टी के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर शशि

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- पहले राहुल की सोच होती थी, अगर पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं तो पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- पर, अब पार्टी द्वारा शशि थरुर को लोकसभा में खुलकर बोलने का मौका देना, इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का रुख "बगावती" तेवर वाले नेताओं के प्रति कुछ नरम हुआ है।
- दूसरी ओर शशि थरुर भी कुछ सध कर बोल रहे हैं, भाजपा व प्र.मंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते समय।
- शशि थरुर ने यह महसूस किया कि धीरे-धीरे भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र, तिरुअनंतपुरम् में उनके वोट बैंक में सेंध मार रही है और यह थरुर के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी।
- यह ही मनीष तिवाड़ी के बारे में हुआ। मनीष को लग रहा था कि पार्टी में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा, जिसका वे अपने आपको हकदार मानते थे। पर, जब पार्टी ने उन्हें एसआईआर पर राज्यसभा में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहा गया और कांग्रेस के लिए यह सुखद "डवलपमैंट" था।

## 'सबका बीमा सबकी रक्षा' बिल पारित

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान करने वाले सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।

राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद आज विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार 16 दिसंबर को ही पारित कर चुकी थी।

इस विधेयक का उद्देश्य बीमा संबंधी तीन कानूनों में संशोधन करना है। इसमें बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए और भी कई उपाय किये गये हैं।

पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि एक बीमा कंपनी का गैर-बीमा कंपनी के साथ विलय किया जा सकता है या उसे बीमा तथा गैर-बीमा कंपनियों में बांटा जा सकता है। इसके लिए बीमा नियामक से अनुमति लेनी होगी। अब पांच प्रतिशत से कम के हिस्सेदारी

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति प्रदान की, लोकसभा में 16 दिसम्बर को यह बिल पारित हो चुका है।

## 'भारत का औद्योगिक उत्पादन घट रहा है'

### राहुल गांधी जर्मनी की पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान बी.एम.डब्ल्यु. वर्ल्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्रसिद्ध बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड का गाइडेड टूर करते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि किसी भी देश की सफलता के लिए उत्पादन सबसे अहम है, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

समग्र आर्थिक विकास में मैन्युफैक्चरिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा लहरा रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शोरूम का दौरा करते, वहां मौजूद लग्ज़री कारों को नजदीक से देखते और बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड घूमने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वहां 450 सीसी की एक बाइक भी है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा, "भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन होता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है, जबकि वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए।"

एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, "मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करने की ज़रुरत है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करने की ज़रुरत है।"

राहुल गांधी दुनिया भर की 117 प्रगतिशील पार्टियों के एक प्रमुख समूह, "प्रोग्रेसिव अलायंस" के निमंत्रण पर जर्मनी के दौरे पर हैं।

अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान, वे बुधवार को होने वाले एक बड़े आईओसी (इण्डियन ओवरसीज़ कांग्रेस) कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे।

यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। इस दौरान एनआरआई से जुड़े मुद्दों

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- अवलोकन के दौरान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन घटना दुख का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की सफलता की कुँजी उसका औद्योगिक उत्पादन होता है।
- राहुल गांधी की जर्मनी की इस यात्रा की घोषणा लोकसभा के सत्र के दौरान की गई थी तथा इस घोषणा पर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि राहुल गांधी के बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से, राहुल गांधी के अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

## एच वन बी वीज़ा की फीस का सर्वाधिक असर टाटा और इंफोसिस पर पड़ेगा

### अब इन कंपनियों को भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए एक लाख डॉलर की वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। अमेरिका के बाहर से नियुक्त किए जाने वाले नए एच-1बी कर्मचारियों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 1,00,000 डॉलर का शुल्क तय किए जाने से आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उद्योग लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है।

यह शुल्क ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाई गई सबसे बड़ी पाबंदी है।

इसका असमान रूप से ज्यादा असर उन बहुराष्ट्रीय स्टाफिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो एच-1बी कर्मचारियों की तलाश कर रहीं कंपनियों के लिए बिचौलिये की भूमिका निभाती हैं। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस कॉर्प शामिल हैं।

मई 2020 से मई 2024 के बीच टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस में की गईं लगभग 90 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से मंज़ूरी मिली थी।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि में इंफोसिस की 93 प्रतिशत से अधिक नई एच-1बी नियुक्तियों, जो

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- ट्रंप के, एच वन बी वीज़ा शुल्क को एक लाख डॉलर करने के फैसले को आउट सोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा हैं। यह उद्योग एच वन बी वर्कस तलाश करने वाली कंपनियों के लिए बिचौलिए का काम करता है। इनमें टाटा कंसलटैंसी, इंफोसिस व कॉग्निज़ैंट शामिल हैं।
- अमेरिका के औद्योगिक विशेषज्ञों का मत है कि भले ही शुल्क वृद्धि को कानून की मदद से रोक दिया जाए, पर, इससे अमेरिकन वीज़ा की मांग में भारी कमी आएगी।

## उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले भागवत

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एनक्लेव में मुलाकात की। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और सरसंघ चालक

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के अधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की जानकारी दी गई और बताया गया कि सरसंघ चालक भागवत ने उनसे सांस्कृतिक व शैक्षिक मसलों पर चर्चा की।

## 'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) को भारत से अलग करने में मदद देंगे'

### बाँग्लादेश के एक नेता के इस बयान पर नाराज़ केन्द्र सरकार ने बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। ढाका में भारतीय उच्चायोग को दी गई धमकियों और बाँग्लादेशी राजनीतिक नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए, भारत ने दिल्ली में मौजूद बाँग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया है।

यह सम्मन बाँग्लादेश की नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के एक नेता द्वारा दी गई उस धमकी के बाद भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और "सेवन सिस्टर्स", जो कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, को भारत से अलग करने में मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदुल्लाह को बाँग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उनका बयान, "विशेष रूप से, उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर खींचा गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आस-पास "सुरक्षा के लिए खतरा" पैदा करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह बाँग्लादेश में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए गए झूठे कथानक को पूरी तरह से नकारता है।

मंत्रालय ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो मामले की पूरी जांच की है और न इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण साझा किए हैं।"

बयान में कहा गया, "भारत के बाँग्लादेश के लोगों के साथ गहरे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में निहित हैं और ये रिश्ते विभिन्न विकासात्मक तथा दोनों देशों की जनता की पहल से मजबूत हुए हैं। हम बाँग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की अपील की है, जो शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत, बाँग्लादेश में मिशनों और पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।"

"सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करे देंगे", छात्रों की पार्टी नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख हसनात अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- बाँग्लादेश की नैशनल सिटिज़न पार्टी के एक नेता ने धमकी दी है कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और "सैवन सिस्टर्स" अर्थात् सात पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करेगा।
- भारत में बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बाँग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाँग्लादेश के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणी पर भारत सरकार की नाराज़गी से अवगत कराया गया।

## दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी "वर्क फ्रॉम होम" करेंगे

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये।

मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित, ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देशों में यह

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 18 दिसम्बर से यह आदेश सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर लागू होगा।

## राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ नैशनल हैरल्ड मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं है भाजपा

### भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय ने तकनीकी कारणों के आधार पर ई.डी. को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच की कार्यवाही पर रोक लगाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। सत्तारूढ़ भाजपा को न्यायपालिका से भी नकारात्मक निर्णय स्वीकार करने की आदत नहीं, इसलिए वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नेशनल हैरल्ड मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने बताया, असल में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) को कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने की संभावना है और उसे नेशनल हैरल्ड की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति को वापस नहीं करना पड़ेगा।

भाजपा के नेताओं ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि हमें इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना होगा और हर कानूनी विकल्प का पता लगाना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, और वह है गांधी परिवार को दबाव में रखना।

दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के "मुंह पर तमाचा" करार दिया।

खड़गे ने मीडिया से कहा, "यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए तैयार किया गया था। इस निर्णय के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके मुंह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।"

भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर "राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने" का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के "राजनीतिक प्रतिशोध" के दावों को खारिज किया।

भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि "वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं," और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, "अगर कोई राजनीति में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है," अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली।

भाजपा नेता के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी।

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट की संज्ञान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

- प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायालय का निर्णय, राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई व गुणवत्ता में कमी के कारण नहीं लिया गया है।
- अतः, यह कहना पूर्ण सच नहीं है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को "रिलीफ" (रियायत) मिली है, न्यायालय से।
- दूसरी ओर, कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से मीडियाकर्मियों के समक्ष कहा कि न्यायालय का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मुँह पर चपत है तथा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

## ओमान के सुल्तान ने हवाई अड्डे पर किया मोदी का स्वागत

मस्कट, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में बुधवार शाम यहां मस्कट पहुंच गए, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

प्रधानमंत्री ने मस्कट पहुंचते ही ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ बैठक की।

- प्र.मंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे।

## विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

# राज के दो साल : भजनलाल सरकार के विश्वास और विकास का लेखा-जोखा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को अपने जन्मदिन के दिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप मे शपथ ली थी। राज्य सरकार दो वर्षों में अर्जित अपनी उपलब्धियों को 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे 15 दिनों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। राज्य सरकार के कार्यों की दो साल की उपलब्धियों की बात करे तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री के पद की यात्रा का सफर सफलतापूर्वक तय किया है। निश्चय ही ग्राम पंचायत के सरपंच से मुख्यमंत्री बनने तक का भजनलाल शर्मा का सफर रोचक और प्रेरणादायी कहा जा सकता है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए यह संकल्प लिया था कि राज्य सरकार प्रदेश की 36 कौमों के विकास के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर प्रदेश में प्रगति और विकास की नई शुरूआत करेगी। उन्होंने यह संकल्प भी लिया कि विकास सभी के साथ और सबकी भागीदारी से ही होगा। सभी लोग एक साथ चलेंगे तो बदलाव आयेगा और राजस्थान प्रगति के नये सोपान तय करेगा। राजस्थान में भाजपा संगठन से जुड़े एक साधारण कार्यकर्त्ता और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर मोदी और अमित शाह ने समूचे देश को चौंका दिया था। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए अनेक बड़े दावेदारों के नाम सामने आये थे, मगर मोदी ने संगठन से जुड़े एक कार्यकर्त्ता को मुख्यमंत्री का ताज सौंपकर पूरे देश में यह सन्देश दे दिया कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्त्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है।

**उपलब्धियों का जश्न**

हर सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाती आई है। इसी क्रम में भजन लाल सरकार भी अपनी जन हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अपना विज़न लोगों के सामने रख रही है। सरकार का दावा है कि 2 साल में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जन हितैषी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। इस अवधि में भजनलाल सरकार के किसी भी मंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं लगा, हालांकि अधिकारियों की कार्यशैली पर अवश्य सवालिया निशान लगे। दो वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है। भजनलाल सरकार का दावा है कि 2 साल में ही जनता की सरकार के रूप में संवेदनशीलता से किये कार्य का परिणाम है कि आज समाज के सभी वर्ग सरकार के कार्यों से बेहद संतुष्ट है। सरकार का दावा है कि इस अवधि में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जनकल्याणकारी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। राज्य मंत्रीपरिषद के सदस्य प्रदेशभर में भ्रमण कर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे है।

**आंकड़े सच बोलते है**

यह दावा भी किया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच सालों की अपेक्षा भजनलाल सरकार के दो सालों में अधिक बेहतर कार्य किये है। इसे 5 साल बनाम 2 साल के आंकड़े सच बोलते है के शीर्षक के माध्यम से प्रदर्शित किये जा रहे है। इन आंकड़ों में विशेष रूप से नहरी तंत्र से सृजित सिचाई सुविधा, फार्म पोंड, ओडीएफ प्लस गांव, निर्मित सड़कों की लम्बाई, सड़कों से जोड़े गए गांव, बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि, स्कूली छात्रों को टैबलेट/ लेपटॉप वितरण छात्राओं को स्कूटी वितरण, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, महाविद्यालयों के भवन निर्माण, नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन, सेटेलाइट अस्पताल स्थापना,कौशल प्रशिक्षण और गौशालाओं को सहायता की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर दावा किया गया है कि हमारी सरकार ने दो सालों में ही पांच सालों को पछाड़ दिया। उपलब्धियों के इन आंकड़ों को देश भर में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है।

**मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा।**

मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में जनसेवा की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे को जन आंकाक्षाओं के अनुरूप मजबूत बनाने में जुटे हैं। भजनलाल सरकार महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और दिव्यांग जनों सहित हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। जनता से सीधे जुड़े विभागों ऊर्जा उत्पादन, सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल, जल संसाधन, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य किये। सरकार का दावा है कि हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है। चुनाव के समय जनता से किए गए 392 संकल्पों में से 274 या तो पूरे किए जा चुके हैं या प्रगति पर हैं। प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा। आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं। सरकार के दावे के विपरीत विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया जिससे हर वर्ग दुखी और परेशान है। कानून व्यवथा छिन्न-भिन्न है। रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। आमजन बेहाल है ऐसे में खुशहाली की बात करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार घोषित किया मगर इसी पर्ची सरकार ने दो साल में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की पहल की अपितु आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए हैं।

**साफ़ सुथरी छवि और ईमानदार नेता**

मुख्यमंत्री भजनलाल की छवि एक साफ़-सुथरे, मेहनती, समर्पित और ईमानदार नेता की है। जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ प्रदेश के विकास में जुटे है। आम आदमी की सोच है प्रदेश के बहुमुखी विकास में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और कुशासन प्रगति और विकास के दुश्मन के रूप में उभरे है। जब तक इन पर काबू नहीं पाया जायेगा तब तक विकास और प्रगति एकांगी होगी। हर सरकार लोक कल्याण का वादा करती है मगर लोक कल्याण के मार्ग में अवरोध बने इन कारकों को समाप्त करने की दिशा में कोई ठौस कारवाही नहीं करती। चूँकि राजनेताओं के हित इनसे जुड़े है इसलिए इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक समाज से यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, हम भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगते रहेंगे। भ्रष्टाचार आज भी समाज को खोखला कर रहा है। इस बेतरणी में सभी अपने हाथ धोना चाहते है। ऐसा लगता है राजस्थान में भ्रष्ट कर्मियों से अपना नापाक गठजोड़ स्थापित कर लिया है।जन प्रतिनिधियों और सरकारी कारिंदों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग के प्रकरणों का खुलासा आये दिन मीडिया में सुर्खियों में पढ़ने को मिल जाता है। जनता के खून पसीने की कमाई को हड़प करने का जरिया भ्रष्टाचारियों ने अपना लिया है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार ने अपना दामन चहुंओर फैला रखा है। राजस्व, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेडीए, स्थानीय निकाय, सिंचाई, जलदाय, रसद, सड़क, पंजीयन जैसे दर्जनों कार्यालय हैं जहां बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता। जब तक मुट्ठी गर्म न की जाए तब तक कोई काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार एक संचारी बीमारी की भांति इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों को अपना भविष्य अंधकार से भरा नजर आने लगा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना चाहते है। ऐसे में प्रदेशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर जनता को राहत प्रदान करे।

–अतिथि संपादक,
**बालमुकुन्द ओझा,**
**वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार**

# सेवा शिविर: सुशासन की अवधारणा को नई दिशा

जोगाराम पटेल

राज्य के शासन-प्रशासन का वास्तविक मूल्यांकन उसकी नितियों और निर्णय से आम नागरिक के जीवन में मिलने वाली प्रत्यक्ष राहत और सुविधाओं से किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा शिविर इस कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। यहां सरकार दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है।

सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन और सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्षों से यह शिकायत रही कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं फाइलों, प्रक्रियाओं और दफ्तरों के बीच उलझकर रह जाती हैं। सेवा शिविरों ने इस मानसिकता को तोड़ा है। यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां प्रशासन, योजनाएं और समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यह बदलाव अपने आप में सुशासन की परिभाषा को नया आयाम देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन शिविरों की शुरुआत की गई। इससे यह अभियान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की व्यापक राष्ट्रीय सोच से जुड़ गया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक निरंतरता का संकेत है, जहां केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर शासन का लक्ष्य अंत्योदय है।

सेवा शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां 18 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जिस कार्य के लिए आम नागरिक को कई विभागों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वही काम अब शिविर स्थल पर कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, भू-राजस्व शुद्धिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतें आदि सभी सेवाएं अब कतार, फाइल और देरी से मुक्त होकर त्वरित समाधान का रूप ले चुकी हैं।

अब तक 2 लाख से अधिक जाति प्रमाण पत्र, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र, 1.53 लाख भू-राजस्व शुद्धिकरण प्रकरण और 1.24 लाख नामांतरण मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये आंकड़े आम नागरिक के समय, श्रम और सम्मान की बचत का प्रमाण हैं।

**ग्रामीण सेवा शिविर: पंचायत स्तर पर सुशासन**

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गांव छूटे नहीं। राजस्व विभाग मौके पर ही नामांतरण, नोटिस तामील और प्रमाण पत्र वितरण कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल सर्वे कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत, मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच और एनीमिया परीक्षण जैसी योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा अब तक 2.60 लाख से अधिक मवेशी बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालकों के लिए बड़ी सुरक्षा है। कृषि विभाग बीज किट वितरण के माध्यम से किसानों को राहत दे रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग मौके पर ही राहत राशि स्वीकृत कर रहा है। यह सब मिलकर ग्रामीण सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत करता है।

**शहरी सेवा शिविर: सुविधा के साथ सौंदर्य**

शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर केवल प्रमाण पत्र और आवेदन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी ढांचे में प्रत्यक्ष सुधार का माध्यम भी बन रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स की स्थापना जैसे कार्य शिविरों के साथ-साथ किए जा रहे हैं।

नगर निकायों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन आदि कार्य भी इन्हीं शिविरों में किए रहे हैं। अब तक 1.95 लाख से अधिक पट्टों का वितरण, 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरणों का निस्तारण और 1.48 लाख जनधन खातों का संचालन किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि शहरी सेवा शिविर प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ जीवन गुणवत्ता सुधार का भी माध्यम बन चुके हैं।

सेवा शिविरों का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। शिविरों के माध्यम से 24.36 लाख मरीजों का उपचार, 10.77 लाख लोगों की टीबी व एनसीडी स्क्रीनिंग और 17 लाख किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की जा चुकी है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर 95,800 से अधिक आवेदन स्वीकृत, जन आधार योजना में 1.13 लाख लाभार्थी, 25 हजार स्वनिधि ऋण और 75,600 वय वंदन कार्ड जारी होना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सुरक्षा अब कागजों तक सीमित नहीं रही। इन शिविरों का सबसे बड़ा प्रभाव जन विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में सामने आया है। वर्षों से लंबित नामांतरण, प्रमाण पत्र या बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं अब कुछ घंटों में सुलझ रही हैं। इससे न केवल जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक इकाइयों की कार्यकुशलता और जवाबदेही भी मजबूत हुई है।

नगरीय निकायों में दी गई विशेष रियायतें जैसे बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी से हजारों परिवारों और व्यापारियों के लिए सीधी राहत हैं। यह दिखाता है कि सरकार नियमों के साथ-साथ संवेदनशीलता को भी उतना ही महत्व दे रही है।

सेवा शिविर आज पारदर्शिता, सरलता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता का संयुक्त उदाहरण बन चुके हैं। घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की सतत निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह पहल केवल आयोजन न बनकर रह जाए, बल्कि स्थायी प्रशासनिक सुधार का माध्यम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह सोच कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी शासन का केंद्र हो, सेवा शिविरों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है। यह पहल बताती है कि जब राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छाशक्ति एक दिशा में काम करें, तो सुशासन केवल नारा नहीं, बल्कि जन-जीवन का अनुभव बन जाता है। सेवा शिविर वास्तव में यह संदेश दे रहे हैं कि सरकार अब दरवाजे पर दस्तक देने वाली संस्था बन चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है।

–जोगाराम पटेल,
**संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री**

# महाभियोग को बनाया दबाव बनाने और प्रतिशोध का एक साधन

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

आज भारत राजनीति में गिरावट, राजनीतिक पार्टियों में संवैधानिक नैतिकता के पतन और भारत के लोगों के प्रतिनिधियों के पतन का गवाह बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बिना 100 सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना, भारत के संविधान में अविश्वास, न्यायपालिका में भरोसे की कमी और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका को धमकाने और प्रतिशोध लेने का एक हथियार बनाया है।

यह मामला अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है। मूल रूप से यह मुद्दा संपत्ति जो कि थिरुप्परंकुंद्रण पहाड़ी पर स्थित है पर नागरिक अधिकारों से संबंधित है, जिस पर 1923 में ही प्रिवी काउंसिल द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा का मुकदमा निर्णितहोगयाथा । मद्रास उच्च न्यायालय ने1996 के आदेश में मुस्लिम समुदाय की सीमांकित भूमि से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। 2005 में शांति समिति के प्रस्ताव में भी इसे मान्यता दी गई थी। चूंकि यह मुद्दा अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है, इसलिए जो एक पक्ष के लिए पवित्र और पावन है, वह दूसरे पक्ष के लिए समान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दरगाह में पशु बलि के प्रयास पर रोक लगा दी गई थी।

याचिका में बताई गई घटनाओं का क्रम, भारत में आपसी भाईचारे के लिए कुछ बातें एकदम साफ़ कर देता है कि दोनों समुदायों को शांति से साथ चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकारों की कुर्बानी की कीमत पर नहीं। संवैधानिक नैतिकता के दायरे में सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर रीति-रिवाजों और परंपराओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल है, वह है भक्तों की भूमिका और कर्तव्य, जहाँ धार्मिक संस्था के ट्रस्टी वैध पारंपरिक प्रथाओं को निभाने और संरक्षित करने में विफल रहते हैं। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मंदिर के प्रबंधन को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि वे दीपाथून नामक पत्थर के मंदिर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाएँ जोकि दरगाह से 50 मीटर दूर स्थित है और न्यायिक आदेश की अनुमति से तीन गुना दूर है। याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रबंधन के कार्तिगई दीपम को अलग जगह पर जलाने के निर्देशों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को लोकस स्टैंडी, रेस ज्यूडिकाटा, पूजा स्थल अधिनियम जैसी आपत्तियों पर सम्पूर्ण विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन/देवस्थानम को निर्देश दिया कि वे सामान्य स्थानों के अलावा दीपाथून पर भी कार्तिगई दीपम जलाएँ और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन केवल अवमानना याचिका दायर करने और कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों की टीम को याचिकाकर्ता और उसके दस साथियों को सुरक्षा प्रदान करने और कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश देने के बाद ही किया गया।यह बताना ज़रूरी है कि दरगाह कमेटी ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है जिसे लागू किया जाना है। राज्य सरकार ने विवादित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। भक्त याचिकाकर्ता ने खुद दीपक जलाने का दावा नहीं किया था, बल्कि वह चाहता था कि मंदिर ट्रस्ट उन परंपराओं को बनाए रखे जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हैं। जब मंदिर ट्रस्ट ने आदेशों का पालन नहीं किया, तब सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए केवल दस लोगों को दीपक जलाने की अनुमति दी गई, जो दरगाह से तयशुदा दूरी से तीन गुणा दूरी पर है। घटनाओं को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं, यह भारत के संविधान की योजना, आलोच्य आदेश के खिलाफ लंबित अपील, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य अन्तोगत्वा, केंद्र सरकार की सीआईएसएफ एजेंसी ने आदेश का पालन करवाया, जिससे कानून के शासन को बनाए रखा गया।

तमिलनाडु राज्य का यह अवज्ञापूर्ण कार्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए ली गई शपथ के अक्षर और भावना का उल्लंघन है। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि राज्य का नौकरशाही तंत्र न्यायपालिका के कानूनी आदेशों और उच्च अधिकारी के अवैध आदेशों और उनके परिणामों के बीच अंतर को समझने में विफल रहा। यह संविधान के प्रति अनादर और राजनीतिक दलों की हताशा को दर्शाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित आदेश पर अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना महाभियोग प्रस्ताव का विकल्प चुना। निष्कर्ष के तौर पर, यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है जहाँ एक राजनीतिक विचारधारा संवैधानिक अदालत द्वारा न्यायिक फैसले पर असंतोष व्यक्त करती है, उस जज पर दुराचार और अक्षमता का आरोप लगाया जो भारत के संविधान के दायरे में फैसला सुनाता है। यह कहना कि यह विवाद धार्मिक प्रकृति का है, गुमराह करने वाला है। इसका इस्तेमाल मीडिया में अफवाहें फैलाने और वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र का उल्लंघन है।

**सूर्यप्रतापसिंह राजावत**
**अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर**

# जाटोली गांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण से जलभराव, ग्रामीण परेशान

## ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया, घरों में घुसता है बारिश का पानी

- **आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन व गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है**
- **ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की**

**अलवर,** (निसं)। जाटोली में नवनिर्मित सीसी सड़क में अनियमितताओं के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है।

गांव निवासी राकेश कुमार गौतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क की अधिक ऊंचाई के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे घरों में पानी भर रहा है और ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें निर्धारित मानकों और शर्तों की अनदेखी की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी सड़क निर्माण परियोजनाओं में जल निकासी, ऊंचाई और गुणवत्ता संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं। हालांकि, ठेकेदार ने कथित तौर पर निजी लाभ के लिए इन शर्तों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जाटोली गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण को दोबारा सही मानकों के अनुसार कराने की भी अपील की है।

## राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

**गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025**

पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:07 तक, धृति योग दिन 3:06 तक, विष्टि करण दिन 3:46 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:07 तक है। भद्रा दिन 3:46 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि, श्री जय प्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 8:31 तक, चर 11:06 से 12:23 तक, लाभ-अमृत 12:23 से 2:58 तक, शुभ 4:15 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:32 तक

### मेष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

### वृष

परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

### मिथुन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

### कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

### सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

### कन्या

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

### तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

### वृश्चिक

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

### मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण बढ़ेगा।

### कुंभ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

### मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

## जेसीबी जब्त कर 3.5 लाख का जुर्माना लगाया

बज्जू, (कासं)। बज्जू क्षेत्र के चक 5 बीएमआर में अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपखण्ड अधिकारी सांवरमल रैगर के निर्देश पर खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी मशीन जब्त कर रणजीतपुरा पुलिस को सौंपी गई। अवैध खनन और जेसीबी पर कुल 3.5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।

इस कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के अभियंता अनिरूद्ध सिंह भाटी, आरआई जगदीश प्रसाद और पटवारी अजय कुमार मौजूद थे। एसडीएम रैगर ने बताया कि राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त जांच में यह सामने आया कि चक 5 बीएमआर का मुरब्बा नंबर 167/39 निजी खातेदारी कृषि भूमि है।

यहां से लगभग 115 टन जिप्सम का अवैध खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा था। खनिज अधिनियम नियम 54 और 60 के तहत 115 टन जिप्सम पर ढाई लाख रूपए और जेसीबी मशीन पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम ने बताया कि नहरी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार नियमानुसार निजी खातेदारों को खनन पट्टे जारी करती है, लेकिन असामाजिक तत्व अवैध रूप से खनन करते हैं।

# ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस ने मोदी और शाह का पुतला फूंका

बीकानेर, (कासं)। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी शहर व देहात के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब होने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका।

- नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया

बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला जलाने के इरादे से कांग्रेसजन गांधी पार्क से म्यूजियम सर्किल होते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए लेकिन पन्नालाल बारूपाल की मूर्ति के पास पुलिस ने बेरिकेट्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच में रोका गया। इस दौरान माहौल गर्माया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान और तीखी नोकझोंक हुई। वहीं सड़क पर कांग्रेसजनों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए मोदी व शाह का पुतला फूंका। इस अवसर पर शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है। इसलिए ईडी की शिकायत खारिज कर दिया।

पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल व श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर गोदारा ने इसे सत्य की जीत बताया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता ही नहीं है। मेघवाल ने कहा कि कोर्ट का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सत्य को सत्ता के दबाव में दबाया नहीं जा सकता। इस मामले में पीएमएलए के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केस शुरू से ही मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार को बदनाम करना था। जब आरोपों में दम नहीं बचा तो एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। प्रदर्शन में हजारों कांग्रेसजन शामिल थे। आज न्याय ने साफ संदेश दे दिया कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।



बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल व शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल तथा पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन कर मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया।

## भूपेन्द्र यादव से प्रदूषण से निजात दिलाने की मांग

बीकानेर, (कासं)। जिला कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इन्दौरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, सीकर सांसद अमराराम, झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र ओला, बाड़मेर सांसद उमेदाराम, भरतपुर सांसद संजना जाटव, प्रदेश प्रवक्ता आर.सी. चौधरी के साथ दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात कर खारा औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले धुएं से वायु प्रदूषण एवं केमिकल युक्त गंदे पानी से जल प्रदूषण की समस्या को दूर करने की मांग की साथ ही उन्होंने सुजानदेसर स्थित चांदमल का बाग, मोडजी भट्टा क्षेत्र व सोमारनाथ कुटिया क्षेत्र में फैले जहरीले पानी व गंदे पानी की समस्या के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। बिशनाराम सियाग ने कहा कि लम्बे समय से बीकानेर के खारा गांव में पीओपी की फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पीओपी की फैक्ट्रियों के धुएं के कारण स्थानीय ग्रामीण लोग श्वास की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसी प्रकार सुजानदेसर क्षेत्र की जनता लम्बे समय से जहरीले व गंदे पानी की समस्या से जूझ रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय क्षेत्र वासियों द्वारा कई बार धरना, प्रदर्शन और सत्याग्रह तक किया लेकिन संबंधित विभागों ने सुध नहीं ली।

## लोगों ने किया जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन

बीकानेर, (कासं)। राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर सूचना केंद्र में आयोजित जिला विकास प्रदर्शनी का बुधवार को अनेक लोगों ने अवलोकन किया। जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. हरि शंकर आचार्य ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तीन दिवसीय प्रदर्शनी का समापन गुरुवार को होगा। पहले दिन मंगलवार को यह प्रदर्शनी लूणकरणसर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम के दौरान लगाई गई थी। जहां मुख्यमंत्री सहित चिकित्सा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत और जेठानंद व्यास सहित अन्य लोगों ने अवलोकन किया था।


**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2025/5016 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 17-12-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 63 के किला नं. 20 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 45'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री शेर मोहमद पुत्र श्री जमालदिन निवासी 63/2 ई छोटी पंच के घर के पास सिंधु कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री शेर मोहमद पुत्र श्री जमालदिन निवासी 63/2 ई छोटी पंच के घर के पास सिंधु कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 63 के किला नं. 20 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0''गुणा 45'-0''फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक:- नियमन/2025/ — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 10/12/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 15 में माप 40 इन्टू 60 फीट भूखण्ड संख्या जी-14, आनन्द विहार, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 4682 दिनांक 04.08.2007 को श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री विजय कुमार के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूखण्ड में से माप 25 इन्टू 60 फीट उत्तरी हिस्सा श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता के नाम से न्यास रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूखण्ड को श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री सूरजभान निवासी जी-14 आनन्द विहार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 08.10.2025 के द्वारा क्रय कर पंजीकृत उपहार पत्र की प्रति, अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 /5015 — दिनांक :- 17.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 03. में भूखण्ड संख्या 194 माप 25'0'' गुणा 46'0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मोहन लाल पुत्र श्री तेजू राम निवासी 194, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गली नं. 05, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 (नियमन शाखा) में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मोहन लाल पुत्र श्री तेजू राम निवासी 194, सुरजीत सिंह कॉलोनी, गली नं. 05, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 03 में भूखण्ड संख्या 194 माप 25'0'' गुणा 46'0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/5020 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 38/47 के किला नं. 12 में माप 37 इन्टू 40 फीट, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 945 दिनांक 17.12.2012 को श्री सुरेन्द्र बंसल पुत्र श्री लखमीचन्द के नाम से जारी किया हुआ है। जो कि नामान्तरण उपरान्त श्रीमती राजरानी पत्नी स्व. श्री हंसराज एवं श्री विक्रम कथूरिया व श्री आकाश कथूरिया पिसरान श्री हंसराज के नाम से दर्ज है। श्री विक्रम कथूरिया एवं श्री आकाश कथूरिया पिसरान श्री हंसराज कथूरिया निवासी 91 गांधीनगर, श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत हक परित्याग पत्र दिनांक 09.10.2025 की प्रति, अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/5019 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 19 में माप 30 इन्टू 35 फीट का पटटा संख्या 2999 दिनांक 14.02.2013 को श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री गुरबचन सिंह निवासी श्रीगंगानगर के नाम से न्यास द्वारा जारी किया हुआ है। श्रीमती नीरू बाला पत्नी श्री राजीव कुमार निवासी 6-एस-19, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड में से माप 25 इन्टू 35 फीट जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 21.08.2014 के द्वारा क्रय पंजीकृत बैयनामा की प्रति, अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/5003 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 10, 11 में माप 50 इन्टू 90 फीट भूखण्ड संख्या 1568, होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 3276 दिनांक 27.02.2013 को होमलैण्ड सिटी प्रोजेक्टर लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री संजीव मित्तल के नाम से जारी किया हुआ है। जो कि नामान्तरण उपरान्त श्री सुमित कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार निवासी म.न. 1568 होमलैण्ड सिटी-2, श्रीगंगानगर के नाम से रिकार्ड में दर्ज है। श्री सुमित कुमार द्वारा पंजीकृत बैयनामा की प्रति, अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4988 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 16.12.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 20/21 के किला नं. 9 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पट्टा हेतु आवेदक श्री धर्मवीर पुत्र श्री हरीराम निवासी मॉस्टर कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुता दस्तावेजों को आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री धर्मवीर पुत्र श्री हरीराम निवासी मॉस्टर कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 20/21 के किला नं. 9 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर



**उत्तर पश्चिम रेलवे**

**ई-निविदा सूचना**

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 07.01.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या: 249, कार्य का नाम व स्थान:** सहायक मंडल इंजीनियर, सादुलपुर के अधीन सादुलपुर उपमंडल पर विभिन्न लोकेशनों पर पीने के पानी की आपूर्ति करना। (दो वर्षों के लिए) **अनुमानित लागत मूल्य:** ₹ 5085769.14/- **धरोहर राशि:** ₹101700.00/- **नोट:** अन्य शर्तें रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 1627-DK/25

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5009 — दिनांक :- 17.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 17/24 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री विनोद शाह पुत्र श्री तिलो शाह निवासी गली नं 03 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री विनोद शाह पुत्र श्री तिलो शाह निवासी गली नं 03 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 17/24 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5011 — दिनांक :- 17.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 24/25 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 57'-6'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मधु पत्नी श्री कमल सिंह निवासी सागर कॉलोनी हाउस नं 25 गली नं 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मधु पत्नी श्री कमल सिंह निवासी सागर कॉलोनी हाउस नं 25 गली नं 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 24/25 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 57'-6'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4992 — दिनांक :- 16.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 3/4 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी गली नं. 10, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी गली नं. 10, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 3/4 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4991 — दिनांक :- 16.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री जीवन दास पुत्र श्री मोतीराम निवासी हाउस नं. 67 वार्ड नं. 18 बेगाराम मार्ग सेतिया फार्म श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री जीवन दास पुत्र श्री मोतीराम निवासी हाउस नं. 67 वार्ड नं. 18 बेगाराम मार्ग सेतिया फार्म श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4989 — दिनांक :- 16.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 23/24 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती दर्शना रानी पत्नी श्री चिमन लाल निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती दर्शना रानी पत्नी श्री चिमन लाल निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 के किला नं. 23/24 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 4983 — दिनांक :- 16.12.2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 60'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री पप्पू लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी गली नं 10 चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री पप्पू लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी गली नं 10 चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 60'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर


# बीकानेर में सवा लाख वोटर्स के नाम कटे

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान में वोटर लिस्ट की नए सिरे से छानबीन करने के बाद बीकानेर जिले की सात विधानसभा सीटों में एक लाख 28 हजार 949 वोट कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा वोट कटौती बीकानेर पूर्व में हुई है, जहां 32 हजार 916 वोट कम हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, जहां 21 हजार 406 वोट कम हो गए हैं।

दरअसल, पूरी कवायद निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत की गई है। बीकानेर में चौंकाने वाली बात ये है कि करीब अस्सी हजार वोटर्स के नाम दो-दो जगह चल रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीकानेर की सातों विधानसभा सीटों में पहले 18 लाख 54 हजार 406 वोट थे, जो अब घटकर 17 लाख 25 हजार 59 रह गए हैं। यहां कम हुए वोट में सबसे बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से अन्यत्र शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का है।

सातों विधानसभा सीटों में 72 हजार 795 वोटर स्थायी रूप से अन्य जगह शिफ्ट हो गए। ऐसे में उनका नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है। इसी तरह 9 हजार 494 वोटर ऐसे हैं, जिनका नाम पहले से जुड़ा हुआ था। इन दोनों ही स्थिति में उन वोटर का नाम हट गया, जिन्होंने अपना नाम दो जगह लिखा रखा है। जैसे कि नोखा में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर बीकानेर शहर में रहने लगा है तो उसका नाम एक जगह से अब हट गया है।

वोटर लिस्ट में 27 हजार 976 वोटर ऐसे थे, जिनका निधन हो चुका है। इन सभी का नाम एसआईआर में अभी कट गया है। इसमें भी सर्वाधिक नाम बीकानेर पूर्व में पांच हजार 630 है। वहीं बीकानेर पश्चिमी में पांच हजार 287 वोटर का नाम निधन के कारण कट गया। वहीं खाजूवाला में 3 हजार 674, कोलायत में 2 हजार 681, लूणकरनसर में 3 हजार 993, श्रीडूंगरगढ़ में 3 हजार 313, नोखा में 3 हजार 398 वोटर की मौत हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 17 हजार वोटर ऐसे थे, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये न तो वर्तमान पते पर थे और न इनके कोई रिश्तेदार ही मिले। पूरी तरह से अनजान वोटर की संख्या 17 हजार 234 रही। यहां भी बीकानेर पूर्व सबसे आगे रहा।

# दो माह से आ रहे दूषित पेयजल से लोग परेशान

नोखा, (कासं)। नोखा के सदर बाजार क्षेत्र में पिछले करीब दो माह से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। घरों में आने वाला पानी बदबूदार और गंदा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

- नोखा के सदर बाजार क्षेत्र में दो माह से गंदा दूषित व बदबूदार पेयजल से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है
- निवासियों ने विभागीय अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई और समाधान न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी

निवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायतें दर्ज कराई और अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत भी कराया। हालांकि समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। विभागीय लापरवाही से नाराज लोगों ने अब प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

बुधवार को सदर बाजार क्षेत्र के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड कार्यालय पहुंचा। उन्होंने एसडीएम गोपाल जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर दूषित पानी की आपूर्ति तुरंत रोकने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि जलजनित बीमारियों का खतरा और बढ़ने से दूषित पानी की आपूर्ति बेहद चिंताजनक है। निवासियों ने विभागीय अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई और समाधान न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी। एसडीएम जांगिड़ ने समस्या को गंभीरता से लिया।

उन्होंने संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया और कहा कि पेयजल आपूर्ति सुधारने को प्राथमिकता दी जायेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में किशोर दमानी, गिरधारी पारीक, प्रभु भार्गव, महावीर तापडिया सहित कई अन्य लोग शामिल थे।

# नोखा में 51 नए बूथ बने

नोखा, (कासं)। नोखा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। विशेष पुनरीक्षण कार्य के बाद इसमें कुल 2 लाख 77 हजार 308 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक सूची में कुल 2 लाख 91 हजार 430 मतदाता शामिल थे। प्रथम चरण की जांच में 14 हजार 122 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त पाये जाने के कारण अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। ने 51 नए मतदान बूथ बनाए हैं।

इसके साथ ही नोखा विधानसभा क्षेत्र में अब कुल 309 मतदान केन्द्र हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव से मतदान प्रक्रिया और अधिक सहज और प्रभावी होगी। गोपाल जांगिड़ ने स्पष्ट किया कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय-सीमा में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।

# अवैध बिजली कनेक्शन काटने से जेईएन पर तलवार से हमला

बीकानेर, (कासं)। गैरसरियान और पठानों के मोहल्ले में बीकेईएसएल की ओर से बिजली के अवैध कनेक्शन काटने पर ऑफिस में घुसकर अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में बाइक पर जा रहे जेईएन को रोककर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया।

- कनेक्शन काटने पर नाराज होकर धमकी दी। बाद में वह अपने साथियों के साथ पवनपुरी स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। वहां लक्ष्मण के साथ बैठे अन्य अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी

जेईएन घायल हो गया जिसका पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकेईएसएल के अधिकारियों को गैरसरिया मोहल्ला और पठानों के मोहल्ले में घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन की जानकारी मिली थी।

एईएन डी-5 आशित कुमार शाह की टीम इन मोहल्ले में पहुंची तो 20 घरों में लोगों ने हुकिंग कर अवैध कनेक्शन ले रखे थे। इनमें गैरसरियों का मोहल्ला में अकबर और उसकी भांजी, पठानों का मोहल्ला में शौकत भी शामिल थे। कार्रवाई के बाद अधिकारी अपने कार्यालय लौट गए। दिन में करीब 2.43 बजे अकबर ने जेईएन लक्ष्मण चौधरी को फोन किया और कनेक्शन काटने पर नाराज होकर धमकी दी। बाद में वह अपने साथियों के साथ पवनपुरी स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। वहां लक्ष्मण के साथ बैठे अन्य अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। सायंकाल करीब 4.30 बजे जेईएन लक्ष्मण बाइक पर सवार होकर जा रहा था। पुराने रोशनीघर की तरफ भाटी पान पैलेस के आगे सरकारी गोदाम के पास आंटो में सवार होकर आए अकबर, शौकत और दो अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और तलवार से हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मण के शरीर पर चोटें आई।

# बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की मांग, ज्ञापन सौंपा

बीकानेर, (कासं)। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बुधवार को पहली बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में बार एसोसिएशन बीकानेर के बैनर तले बार काउंसिल सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं को साथ लेकर बीकानेर संभाग में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर जिला न्यायाधीश अश्विनी विज एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के मार्फत राष्ट्रपति सहित चीफ जस्टिस राजस्थान को सौंपा।

ज्ञापन देते हुए बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि 17 अगस्त, 2009 को बार एसोसिएशन, बीकानेर की आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया गया व प्रकट किया गया एवं मांग की गई कि इस संभाग के जनसाधारण को सस्ता एवं सुलभन्याय त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट की एक बैंच बीकानेर में अविलम्बस्थापित की जावे। सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बीकानेर में ऐतिहासिक एवं वास्तुकला की अनूठी व भव्य ईमारत हाईकोर्ट की बैंच स्थापना हेतु उपलब्ध है जहां पर तत्कालीन बीकानेर राज्य में 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में रही है।

वृहद राजस्थान बनने पर हाईकोर्ट को यहां से हटा दिया गया जो कि इस क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कमी व बाधा रही है। बीकानेर संभाग के सभी एडवोकेट्स ने इस मांग की पूर्ति हेतु 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में अपना कार्य स्थगित रखा था। कुलदीप कुमार शर्मा ने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार से यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि विभिन्न हाईकोर्ट्स की बैंचेज अन्यत्र स्थापित करने के लिये उच्च स्तरिय कमेटी का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के समक्ष बीकानेर का मामला पूरी तरह रखने व कमेटी की राय के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। तदोपरांत ही बीकानेर संभाग के एडवोकेट्स ने अपने आन्दोलन में हड़ताल के कदम को स्थगित किया।

तत्कालीन विधि मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा समिति गठन करने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात भारत सरकार ने मौन साध लिया। एडवोकेट्स के इतने लम्बे आन्दोलन एवं भारत सरकार के आश्वासन व विधि मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा लोकसभा में की गई घोषणा पर भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी मांग को लेकर बार एसोसिएशन बीकानेर की आम सभा में प्रत्येक माह के 17वें दिन इस मांग की पूर्ति करवाने हेतु संकल्प प्रकट करने एवं सरकारी एवम् न्याय प्रशासन को स्मरण कराने हेतु द्वारा प्रत्येक 17 तारीख को प्रोटेस्ट-डे के रूप में मनाने का निणय लिया हुआ है।

## 151 छात्रों को स्वेटर-जूते वितरित

नोखा, (कासं)। नोखा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिनियाला में सोमवार को एक सामाजिक पहल के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 151 विद्यार्थियों को स्वेटर, जुराब और जूते-सैंडल वितरित किए गए।

शाला परिवार और सहयोगी सदस्यों के संयुक्त प्रयास से यह वितरण ठंड के मौसम में जरूरतमंद छात्रों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिश्नोई ने शाला परिवार के इस प्रयास की प्रशंसा की।


**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4976 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 10.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोनिन्दर जीत सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बीकानेर हाल आबादी 2180 एलआईसी कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

| न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूखण्ड का विवरण | मूल भूखण्डधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 32 किला नं. 16, 17 में माप 30 इंटू 50 फीट भू.सं. बी-47, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर | उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 309 दि. 30.6.2000 को श्री रमेश कुमार पुत्र श्री अमरचंद के नाम से जारी किया हुआ है। जो कि नामांतरण उपरांत श्रीमती सरोज बजाज पत्नी श्री रमेश कुमार, शैलजा बजाज व पायल बजाज पुत्रीयान श्री रमेश कुमार के नाम से रिकार्ड में दर्ज है। | श्री मोनिन्दर जीत सिंह द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.5.2022 की प्रति प्रस्तुत कर भूखंड के नामान्तरण हेतु न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री मोनिन्दर जीत सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बीकानेर हाल आबादी 2180 एलआईसी कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/865 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2025/Rajkaj Ref. No. 19394425 — दिनांक 16.12.25

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

**श्री महेन्द्र कुमार मुंजराल पुत्र श्री रामचन्द्र मुजराल निवासी 4 एफ 18, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर** द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.04.2008 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

| जिले सहित नगर का नाम | पट्टे का विवरण | भूमि का विवरण | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | भू-रूपान्तरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 06 दिनांक 30.05.1985 को श्री सुलतान राम पुत्र श्री मदनलाल के नाम से जारी किया हुआ है। | चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 5 में माप 1092.6 वर्गगज | 30 इन्टू 66 फीट |

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2025/5021 — दिनांक 17.12.25

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

**श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री बक्शाराम निवासी दुर्गाविहार गली नं. 1, अकमल दवाखाने के साथ, श्रीगंगानगर** द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को जरिये **पंजीकृत बैयनामा** दिनांक 29.04.2000 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

| जिले सहित नगर का नाम | पट्टे का विवरण | भूमि का विवरण | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | भू-रूपान्तरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 51/1982 दिनांक 28.04.1983 को श्री रमणदीप सिंह पुत्र श्री मनोहर सिह टक्कर के नाम से जारी किया हुआ है। | चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 24, 25 में माप 1500 वर्गगज | 30 इन्टू 40 फीट |

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 5008 — **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** — दिनांक : 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती कुमारी रोली पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी गली नं. 2, भांभू कॉलोनी, श्रीगंगानगर** के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित **आवासीय** भूखण्ड का न्यास रिकॉर्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

| न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूमि का विवरण | मूल भूखण्डधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 05 किला नं. 10 में माप 15 इन्टू 50 फीट भूखण्ड संख्या 89 भाम्भू कॉलोनी, श्रीगंगानगर | उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 8622 दिनांक 12.07.2018 को श्रीमती ममता पत्नी श्री गुरदीप सिंह व श्री गुरदेव सिंह व सुखदेव सिंह पिसरान श्री माघो सिंह उर्फ गुमेन्द्र सिंह के नाम से जारी किया हुआ है। | श्रीमती कुमारी रोली द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.01.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में **श्रीमती कुमारी रोली पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी गली नं. 02, भांभू कॉलोनी, श्रीगंगानगर** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY25-26/MUT/1113 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक: नियमन/2025/4973 — दिनांक : 10.12.25

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

**सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पवन मोहनका पुत्र श्री द्वारका प्रसाद मोहनका निवासी म.नं. 83 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर** के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित **आवासीय** भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

| न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूमि का विवरण | मूल भूखंडधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 34 किला नं. 13, 14 में माप 35 इन्टू 65 फीट भूखण्ड संख्या एच-02 गणपति विहार, श्रीगंगानगर | उक्त भूखण्ड का नियमन पटटा संख्या 2007 दिनांक 25.09.2013 को श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री शंकर लाल के नाम से जारी किया हुआ है। | श्री पवन कुमार मोहनका द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 08.07.2021 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखंड के संबंध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया है। इस संबंध में **श्री पवन मोहनका पुत्र श्री द्वारका प्रसाद मोहनका निवासी म.नं. 83 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। **आवेदन संख्या** - SGNR/FY25-26/MUT/1051 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

**कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email: uit sgnr@yahoo.com
Office Address: UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमाक :- नियमन /2025/5012 — दिनाक-17/12 2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री धर्मचंद गुप्ता निवासी बी-3, रिद्धि-सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि मे से अपने अधिकार को जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 08.05.2025 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष मे अभ्यर्पित कर दिये है।

| जिले सहित नगर का नाम | पटटे का विवरण | भूमि का विवरण | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | भू-रूपान्तरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पटटा संख्या 340 दिनांक 01.04.1988 को श्री उजागर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह के नाम से जारी किया हुआ है। | चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 18/19 के किला नं0 13 मे माप 1237.5 वर्गगज | 20 इन्टू 45 फीट |

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष मे आवेदक द्वारा भूमि मे के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध मे कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नही है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी।

सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

# दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग से चार लोग जिंदा जले, तीन की मौत

## तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले, एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया

**अलवर,** (निसं)। अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात एक पिकअप में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की बुरी तरह जलने से मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसा जिले के रैणी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब एक बजे हुआ। एएसआई मोहम्मद आमीन ने बताया कि अंदाजा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है। टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई। तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले। एएसआई ने बताया पिकअप में मिले तीन लोगों के शवों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आग लगने पिकअप गाड़ी पूरी तरह से जल गई।

- बताया जा रहा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है, टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई
- पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, इसके बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग देखने के बाद कई गाड़ियां मौके पर ही रुक गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी।

पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही साफ होगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी। शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है।

**अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार :** टोंक जिले की स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अवैध हथियारों के विरुद्ध के तहत उनकी टीम ने निवाई सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को क्षेत्र स्थित मुंडिया कट के पास से आरोपी मोहिद खान पुत्र रुस्तम खान निवासी खिड़की थाना बरौनी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई।

डीएसटी टीम ने आरोपी को निवाई सदर थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके खिलाफ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवाई सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

## दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाई

अजमेर, (कासं)। पटवार परीक्षा 2025 के तहत सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि आगामी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। उप निबन्धक (भू.अभिलेख) रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकाधिक अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में तीन दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए 17 दिसम्बर तक दस्तावेज सत्यापन कार्य हुआ जिसमें साढ़े छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सत्यापन का लाभ मिला। शेष अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी 22 दिसम्बर की शाम पांच बजे तक दस्तावेज सत्यापन कराने को कहा गया है। यह कार्य यथावत आरआरटीआई जयपुर रोड अजमेर में सम्पादित होगा।

## परीणाम जारी

**अजमेर,** (कासं)। 11वीं बटालियन आरएसी वजीराबाद रियर मुख्यालय नारेली के लिए कॉस्टेबल सामान्य की भर्ती शारीरिक दक्षता एवं माप तौल परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसे राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। 11वीं बटालियन के कमाण्डेन्ट केवल राम ने बताया कि बटालियन के रियर मुख्यालय नारेली के नोटिस बोर्ड पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

# जोधपुर की कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले

- मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है

**जोधपुर,** (कासं)। जोधपुर के कायलाना झील में बुधवार सुबह युवक-युवती के शव मिले। झील किनारे एक एक्टिवा, बैग,मोबाइल और जैकेट भी मिला। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है। युवक-युवती दोनों पड़ोसी थे। हादसा राजीव गांधी नगर थाने का है।

एएसआई रावल राम ने बताया कि हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और चेष्टा धोला (20) पुत्री विकास धोला मंगलवार को खांडा फलसा थाना क्षेत्र स्थित अपने घरों से निकले थे। दोनों एक ही जाति के थे और पड़ोसी थे। परिवार ने मंगलवार को सिटी पुलिस थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गोताखोरों की टीम ने दोनों को बॉडी को बाहर निकाला।

एएसआई ने बताया कि मंगलवार शाम को करीब पांच बजे कायलाना झील के आगे तखत सागर के पास दोनों की स्कूटी और बैग मिले थे। इसके बाद कायलाना पुलिस चौकी के सिपाही दिनेश सोडा और गोताखोर भरत चौधरी के साथ मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने के कारण दोनों के शव नहीं मिल सके। इसके बाद आज सुबह फिर से अभियान शुरू किया। शव गहरे पानी में फंसे हुए मिले। इस दौरान मौके पर परिजन भी मौजूद थे। शवों को एमडीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है।


राजस्थान सरकार
**कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला-पाली) राज.**
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी (आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com
क्रमांक : न.पा.सा./2025/4232-4234 दिनांक 15.12.2025
**-:: Notice Inviting Bid ::-**
Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.
UBN NO :- DLB2526WSOB27334
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी
राज.संवाद/सी/25/15940


# चोरी करने वाले तीन बदमाश सात घंटे में गिरफ्तार

**अलवर,** (निसं)। अलवर के अखेपुरा थाना पुलिस ने दुकान में चोरी कर नकदी पार करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई घनश्याम शर्मा ने बताया कि परिवादी महेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अशोका टॉकीज से पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित उनकी नवकार ट्रेडर्स के नाम से दुकान व गोदाम में चोरों ने वारदात की थी।

- छत का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और गल्ला तोड़कर 65 हजार रुपये ले गए थे

पुलिस ने दुकान में चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

परिवादी के अनुसार सोमवार रात चोर दुकान के पीछे छत पर चढ़े और सीढ़ियों का ताला तोड़कर नीचे उतरे। इसके बाद दराज से 65 हजार रुपये नकद और एक आधार कार्ड चोरी कर ले गए। परिवादी ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे थाने में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना के आधार पर कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल गिर्राज की टीम ने तीन आरोपियों-लोकेश कुमार निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, राहुल बैरवा निवासी गाय वाला मोहल्ला और राहुल कोली निवासी ज्योति नगर, 200 फुट रोड को मंगलवार शाम छह बजे ही डिटेन कर थाने ले आए। बुधवार को सात घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया है। वारदात में चोरी गई नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

# सड़क नहीं बनने पर कलैक्टर व एसडीएम की संपत्ति कुर्क होगी

## कोर्ट ने चेतावनी दी कि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तार भी किया जा सकता है

**जोधपुर,** (कासं)। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट (लोक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला) की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर और अन्य ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। लोक अदालत ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2023 को वहां सड़क निर्माण का आदेश दिया था। अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उस आदेश की पालना नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की और स्थायी लोक अदालत की डिक्री (फैसले) की पालना करवाने की मांग की।

जिला न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब सिविल न्यायाधीश ने चारों जिम्मेदार अधिकारियों ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ और जिला कलैक्टर जोधपुर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अप्राथींगणों (अधिकारियों) की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी वारंट जारी कर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी।


**कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान**
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :-न.प.सु/विकास शाखा/2025/9280 दिनांक :- 11.12.2025
**:-ई-निविदा सूचना-2025-26:-**
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 22.12.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2526WSOB26910), (DLB2526WSOB26911), (DLB2526WSOB26913), (DLB2526WSOB26914) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।
आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ
राज.संवाद/सी/25/15979

**कार्यालय नगर निगम, उदयपुर**
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2025-26/ई -32 दिनांक :- 16.12.2025
**(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 32/2025-26**
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 58.12 लाख के कुल 03 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 16.12.2025 एवं अंतिम तिथि 29.12.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 30.12.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2526WSOB00124
अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/15961

**कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.**
गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़, बिजयनगर
टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com
**ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-26**
नगर पालिका बिजयनगर द्वारा राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से सिविल कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रीया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-2026 के कार्य संख्या 01 से 02 की अनुमानित लागत 47.05 लाख हैं। ऑन लाईन निविदाए दिनांक 15-12-2025 से 26-12-2025 समय सांय 6:00 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 29-12-2025 को निविदा शुल्क, अमानत राशि एंव प्रोसेसिंग शुल्क की UTR Receipt भौतिक रूप से समय 12:00 PM तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। ऑन लाईन निविदा की ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक 30-12-2025 समय प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी। अधिक जानकारी वेबसाईट https://sppp.raj.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
UNB Reference No:- DLB2526A9096
राज.संवाद/सी/25/15916
अधिशाषी अधिकारी

**राजस्थान युवा बोर्ड**
(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489
क्रमांक :- F.01(15)RYB/2025-26/00021-7863630 जयपुर, दिनांक :- 15/12/2025
**शुद्धि पत्र संख्या - 1**
"राजस्थान युवा महोत्सव" का भव्य एवं सफल आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजमेंट (EVENT MANAGEMENT) के सम्पूर्ण कार्य हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मों/संस्था/कंम्पनी से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26, दिनांक 15.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन कर दिनांक 18.12.2025 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। संशोधन का पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.youthboard.rajasthan.gov.in एवं लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
राज.संवाद/सी/25/15928
सदस्य सचिव


# अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

**जोधपुर,** (कासं)। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर समेत दो शातिर तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मुख्य आरोपियों की पहचान ललित सीरवी और दिलजीत पूनिया के रूप में हुई है। ये दोनों जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे।

एएसपी भोपालसिंह लखावत ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार पुलिस अवैध हथियारों को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम को अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर टीम ने सी अन्नराज सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार और थानाधिकारी बिलाड़ा सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने बिलाड़ा बाईपास के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्यप्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी इन हथियारों को कहां काम लेने वाले थे। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार तस्करी को लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ललित सीरवी निवासी खारिया मीठापुर, दिलजीत जाट निवासी पिचियाक को गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए गए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे।

- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए
- दोनों आरोपी जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे
- पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे

# बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा

**मांगरोल,** (निसं)। मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव रिंझियां में बेटे ने अपने पिता को धारदार कुठे (एक हथियार) से मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों की सूचना पर मांगरोल थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की लाश को अपने कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां शव को मोर्चरी में रखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड बैठाकर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सोभाग मल मीणा, डॉक्टर आर बी मीणा व अन्य डॉक्टर के साथ मिलकर शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। अंता डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आढा ने बताया गया कि गृह क्लेस के चलते आए दिन झगड़ा के कारण बेटे ने पिता पर कुठे से हमला कर सिर, पेट व एक हाथ का पंजा काट दिया, जिससे घटना स्थल पर नरोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र सूरजमल निवासी रिंझियां की मौत हो गई। मृतक ने पहले वाली पत्नी को छोड़कर सहरिया जाति की औरत से शादी कर रखी थी, सहरिया औरत के साथ गांव ब्रह्मपुर रामगढ के पास थाना किशनगंज क्षेत्र में रहते थे। कभी-कभी अपने गांव रिंझियां आया करता था। मृतक नरोत्तम की पत्नी सरोज सहरिया ने हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुलजिम विजय नागर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया।


**उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान**
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/217 - 219 Date :- 12/12/2025
**ई-निविदा सूचना संख्या 63/2025-26**
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| निविदा कार्यो की कुल लागत | : | रूपये 248.87 लाख (09 कार्य) |
| ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि | : | 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक |
| Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी | : | 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक |
| ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी | : | 02.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे |

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : ITU2526WSOB00357 To ITU2526WSOB00365
अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम
उदयपुर विकास प्राधिकरण
राज.संवाद/सी/25/15921


# किसान महापंचायत में एथेनॉल फैक्टरी हटने तक आन्दोलन जारी रखने का ऐलान

**हनुमानगढ़,** (निसं)। जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने फैक्टरी हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि समय आने पर यही काम आएंगे। महापंचायत में राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन से दो घंटे चली बातचीत के बाद आज की महापंचायत को संपन्न कर दिया। अब सात जनवरी को संगरिया में महापंचायत होगी।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिब्बी में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्टरी के मामले में कहा जा रहा है कि इससे विकास होगा, नौकरी मिलेगी। कहते हैं कि आप विकास का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यही कहना है कि जहां फैक्टरी लगेगी वहां जमीन, हवा और पानी दूषित होगा। फैक्टरी शुरू हो गई तो प्रशासन को दूषित पानी दिखाते रहना। ये 14 फैक्टरी के बराबर है, इसलिए टिब्बी की संघर्ष कमेटी जो फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा मामला हुआ। मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा की जमीन हाईवे के रास्ते में आ रही थी। वहां झंडा लगा दिया। सरकार को सड़क का रास्ता बदलना पड़ा। यहां भी झंडा गाड़ दो कि एक किलोमीटर के घेरे में जो ट्रक आएगा वो वापिस नहीं जाएगा। ट्रक नहीं आएगा तो फैक्टरी का सामान कहां जाएगा। टिकैत ने कहा कि प्रशासन 144 लगाता है तो किसान भी उससे दोगुनी धारा लगाएगा। अब फैसला संघर्ष समिति को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कमेटी के साथ है। अभी तो बीज कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार जमीन छीनना चाहती है। परिवारों को सरकार बांट रही है। इसके खिलाफ लड़ना है। यहां के कलैक्टर ने ट्रैक्टर को हथियार बताया, उनका धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो। आंदोलन में यही काम आएगा। प्रशासन भले ही रोके लेकिन जहां जाओ ट्रैक्टर लेकर जाओ। आंदोलन में तो ट्रैक्टर जरूर लेकर जाना।

- जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर हमला बोला
- ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, अब सात जनवरी को संगरिया में जुटेंगे : किसान नेता राकेश टिकैत
- टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया

वहीं किसानों ने एथेनॉल फैक्टरी हटाने और 10 व 11 दिसंबर को दर्ज हुए मुकदमे रद्द करने की मांग की। इसी बीच, बुधवार सुबह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक आदेश सार्वजनिक किया गया। इस आदेश के अनुसार, टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बीकानेर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलैक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धान मंडी के मुख्य गेट को छोड़कर अन्य सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके आगे ट्रॉलियां लगाई गई। टिब्बी की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कलैक्ट्रेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है। कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

चढ़ूनी ने कहा कि किसान मुकदमों से डरने वाला नहीं है। यहां की कमेटी जो निर्णय लेगी वहीं लागू होगा। पूरे देश का किसान यहां के लोगों के साथ खड़ा होगा। सरकार को साफ बताना चाहते हैं कि फैक्टरी बंद करनी है तो मतलब बंद कर दो। किसान की बात हल्के में मत लेना। मुकदमे रद्द कर दो, अगर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन हरियाणा में भी होगा। उगराहा ने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा, जब एथेनॉल फैक्टरी हटेगी। पहले सरकार आम आदमी की शिक्षा, रोजगार छीन रही थी। अब बात जमीन, पानी और हवा तक आ गई। एथेनॉल जैसी फैक्ट्रियों से यह सब दूषित हो गया तो आम आदमी कहां जाएगा।

## पांच हजार की रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार

**श्रीगंगानगर/जयपुर।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की श्रीगंगानगर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी उसकी माता के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी माता जी के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की जरिये वैयनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में महिला पटवारी ममता ने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा 5 हजार रुपये रिश्वत के पूर्व में ले लिये। अब शेष 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।


**OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL RAJSAMAND**
Zila Parishad Road, Rajnagar, Rajsamand Pin 313324
Email :- rajsamandnagarpalika@gmail.com Telephone No. 02952-220034
S. No. F ( )/MCR/Processing Plant/RFP/2025/7702 Date :- 11.12.2025
**Corrigendum-I**
Technical and financial bids in signle stage two envelops un conditional sealed bid has been invited by Municipal Council Rajsamand to vide SN. 6422 Dated 07-11-2025 submission dated 12-12-2025 at 06:00 PM UBN No. DLB2526WLOB23741 for Design, construction, establishment and development of processing plant and required development work and maintenance of Engineered sanitary landfill site and o&m the 20 years having a minimum adequate capacity for Rajsamand and scalable further as per requirement on VGF basis. The date & time are hereby revised as details below.
Schedule of Bidding Process

| Important Events | पूर्वानुसार तिथि व समय | संशोधित तिथि व समय |
|---|---|---|
| Estimated Cost | 680.00 | 680.00 |
| Publishing Date & Time | 11.11.2025 at 06:00 PM | 11.11.2025 at 06:00 PM |
| Bid Download start Date & Time | 12.11.2025 at 09:00 AM | 12.11.2025 at 09:00 AM |
| Bid submission End Date & Time | 11.12.2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in | 23-12-2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in |
| Physically Document Submission Date & Time | 12.12.2025 at 01:00 PM | 24-12-2025 at 01:00 PM |
| Technical Bid Opening Date & Time | 12.12.2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand | 24-12-2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand |

Details may be seen at the state public procurement portal http// www.sppp.rajasthan.gov.in, http//www.eproc.rajasthan.gov.in in and may be downloaded from these website.
Commissioner
Municipal Council Rajsamand
Raj.Samwad/C/25/15986

# आरजीएचएस योजना में वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत

## चिकित्सा विभाग ने बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से किया डी-पैनल

- राज्य सरकार ने 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को किया निलंबित
- अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए कंट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ एवं एंटी फ्रॉड यूनिट
- अस्पतालों को 1260 करोड़ और फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

**जयपुर** (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से सभी सेवारत व सेवानिवृत कर्मचारी एवं अधिकारी, मंत्रीगण, विधायक, पूर्व विधायक को व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज उपलब्ध करवाकर आईपीडी, डेकेयर, ओपीडी, जांच एवं दवाइयों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना से लाभार्थियों को प्रदेश में व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज सुविधा मिल रही है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में 687.38 करोड़ रुपये, 2022-23 में 3057.38, 2023-24 में 3519.40 और वित्त वर्ष 2024-25 में 4290 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इस योजना में प्रतिदिन औसत 45 हजार से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत बेहतर समन्वय व मॉनिटरिंग की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। इससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।

आरजीएचएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आईपीडी में 1311.25 करोड़ रुपये, डे-केयर में 411.78 करोड़ रुपये, ओपीडी परामर्श व जांच पर 649.99 करोड़ रुपये एवं दवाईयों पर 1889.85 करोड़ रुपये के दावे तथा वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपये एवं फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरजीएचएस में अनियमितता करने पर मंगलवार को बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से डी-पैनल कर 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितता व धोखाधड़ी करने पर विभाग ने वर्ष 2025 में 10 मामलों में संबंधित फार्मेसी, चिकित्सक व लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

आरजीएचएस सुविधा को बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 159 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को योजना से निलंबित कर टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है तथा 5 अस्पतालों को योजना से डी-पैनल किया गया है। आवश्यक सुनवाई कर अस्पतालों के विरूद्ध 26.12 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई, जिसमें से 25.07 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 65 निजी चिकित्सालय योजना से निलंबित हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में अप्रैल 2025 से अब तक 137 फार्मेसी को निलंबित कर उनकी टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है। इसके अतिरिक्त योजना अन्तर्गत कैशलेस दवा वितरण से इन्कार करने के कारण 411 फार्मेसी स्टोर एवं ड्रग लाइसेंस लैप्स हो जाने के कारण 944 फार्मेसी स्टोर को निलंबित किया गया है। साथ ही, मेडीकल स्टोर्स के विरुद्ध 39.79 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई गई है, जिसमें से 35.42 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसी प्रकार अप्रैल 2025 से अब तक कुल 4 लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितताओं में संलिप्त आरजीएचएस कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1032 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक किये गये हैं। गंभीर अनियमितता व धोखाधड़ी के 61 मामलों में कार्मिक को सेवा से निलंबित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। इनमें से 23 कार्मिकों एवं 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार 11 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 493 लाभार्थियों के विरूद्ध कार्ड के दुरूपयोग के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भेजे गये हैं। इनमें से पुलिस विभाग के 137, स्कूल शिक्षा विभाग के 258, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 60, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 23 एवं आयुर्वेद विभाग के 15 कार्मिक सम्मिलित हैं। दावों के भुगतान के लिए एफआईएफओ प्रक्रिया आरजीएचएस योजना में विभिन्न अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, फार्मेसी, जांच केन्द्र व कार्डधारकों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। योजना में क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए निरंतर जांच व सुनवाई की जा रही है।

# जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किए पांच आरोपी

- आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल व उनके बेटे हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल (उर्फ गोलू), श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर एवं लायजनिंग अधिकारी उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं। जिन्हें जयपुर शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया था। इसमें श्याम ट्यूबवेल कंपनी, उसके मालिक पदमचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी और उसके मालिक महेश कुमार मित्तल पर पीएचईडी के बहरोड़ अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी, नीमराना सहायक अभियंता राकेश चौहान तथा कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार से सांठगांठ कर जल जीवन मिशन के टैंडर हासिल करने के आरोप लगे थे।

इन आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का उपयोग करने और मनमाने ढंग से मेजरमेंट बुक (एमबी) भरकर करोड़ों रुपये की अवैध प्राप्ति करने का भी आरोप है। एसीबी के पास आरोपियों की आपसी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जो मिलीभगत के सबूत है।

इस मामले की त्वरित जांच के लिए एसपी महावीर सिंह राणावत की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। जिसमें एएसपी हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र और महावीर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। एसआईटी ने तकनीकी सबूतों और ट्रांसक्रिप्ट का गहन विश्लेषण किया। पहले छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। शेष फरार आरोपियों में से इन पांच को जयपुर के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि 2023 में आरोपियों को पीएचईडी अधिकारियों से 2.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते-देते पकड़ा था। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह और एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में एएसपी भूपेंद्र की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में पूछताछ और आगे की जांच जारी है।

# टीकाराम जूली ने न बजट पढ़ा और ना ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझी : चतुर्वेदी

- राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

**जयपुर।** राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट ठीक से पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है। कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है और तथ्यों से दूर बयानबाजी कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब राजस्थान की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासनकाल में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के संसाधनों में लगातार वृद्धि हो रही हैं।

ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक इन मुद्दों पर केवल राजनीति करती रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर ईआरसीपी पर काम शुरू किया है। इसी तरह यमुना जल को लेकर 50 वर्षों तक केवल राजनीति हुई, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद इस दिशा में ठोस पहल हुई है और डीपीआर तैयार की जा रही है।

अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में लगातार ठोस और परिणामोन्मुख कार्य कर रही है। पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन कर सरकार ने विकास और निवेश को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ईमानदार है तो विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए। इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल और वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यों की तुलना हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों में कई सुधार किए हैं। उनके लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मौजूदा सरकार मनरेगा में समय पर भुगतान, स्थायी विकास से जुड़े कार्यों और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार देने पर फोकस कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अफवाह, भ्रम और नकारात्मकता के सहारे राजनीति कर रही है।

# सांस्कृतिक संध्या में लोक-संगीत और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति नजर आई

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया।

- भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुन और कठपुतली शो रहे आकर्षण का केंद्र
- बॉलीवुड एक्टर, राइटर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा

**जयपुर।** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार के कार्यकाल के शानदार दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केन्द्र में 15 दिसम्बर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में तीसरे दिन बुधवार को सांस्कृतिक संध्या में भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुनों और काठ की पुतलियों की जीवंत अदाओं ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

पर्यटन विभाग के सहयोग से सुसज्जित सांस्कृतिक संध्या में यूसुफ खाँ एवं उनके समूह ने भपंग वादन के माध्यम से कैसो आ गयो जमानो रे और दुनिया में भाया देख ले जैसे लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियाँ बटोरीं। वहीं चूरू के श्याम मित्र मण्डल ने चंग की जोशीली थाप और बांसुरी की मधुर तान के साथ लोकधुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कठपुतली लोक कलाकार राजू भाट रहे, जिन्होंने ढोलक की थाप पर उंगलियों पर काठ की पुतलियों को नचाते हुए महाराजा अमरसिंह की कहानी प्रस्तुत कर दर्शकों को जीवंत अनुभूति कराई। प्रदर्शनी देखने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर, राइटर और डायरेक्टर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि लोक कलाओं को संजोकर रखा जाए, यह कलाएं हमारी धरोहर हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह निःशुल्क कला प्रदर्शन है किन्तु कठपुतली कला अद्भुत और अलौकिक है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया, उनका स्वागत किया, वहीं कलाकारों को भी मंच पर सम्मानित किया। इससे पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी क्षिप्रा शर्मा किस्सागोई कला के अंतर्गत मोर और मोरनी की लोककथा सुनाकर श्रोताओं को कथाओं की दुनिया में ले गईं। इस अवसर पर विभाग की सहायक निदेशक कविता जोशी ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

# पिछले साल की तुलना में 14200 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिला

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस से बदली तस्वीर, प्रदेश के राजस्व में हुई वृद्धि

**जयपुर** (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व सुधार और वृद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटलाइजेशन और तकनीक के प्रयोग से जीएसटी, स्टैम्प, पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर टैक्स और नॉन टैक्स श्रेणियों में संरचनात्मक सुधारों को अमल में लाया गया, डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई तथा डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई गई। इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने टैक्स एवं नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार करते हुए डिजिटल निगरानी और डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग किया है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग, अवैध खनन तथा अन्य राजस्व लीकेज गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से राजस्थान के राजस्व संग्रह में निरंतर और मजबूत वृद्धि संभव हुई है। प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 14 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

विभाग द्वारा रेवेन्यू इंटेलीजेंस आधारित विश्लेषण को सुदृढ़ कर 45 से अधिक डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स तैयार की गई, जिनसे फर्जी बिलिंग की पहचान संभव हुई और इस पर प्रभावी रोक लगी। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल मिलान, रिटर्न प्रोफाइलिंग तथा आधुनिक आईटी टूल्स के माध्यम से हाई रिस्क करदाताओं की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पिछले दो वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए हैं। इन कार्रवाईयों के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती और अवैध भट्टियां को नष्ट कर तस्कर गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे राजस्व लीकेज को प्रभावी रूप से रोका गया।

राज्य सरकार द्वारा तकनीकी सुधारों को अपनाते हुए ई-एक्साइज प्रणाली, क्यूआर आधारित ट्रैकिंग, डिजिटल परमिट सिस्टम और एंड-टू-एंड सप्लाई चेन मॉनिटरिंग को लागू किया।शराब दुकानों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करते हुए ई-लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी है।

राज्य में स्टांप एवं पंजीकरण में डिजिटल सुधारों के प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ई-पंजीयन, ई-ग्रास, राज स्टाम्प और 181 हेल्पडेस्क जैसी ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इससे नागरिकों के समय और लागत दोनों की बचत हुई है। गत दो वर्षों में विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया है, जिससे 20 हजार 599 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे फ्लैटों की खरीद, टीडीआर और डेबट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की गई है।

# जयपुर के नगेंद्र शर्मा सीआईएसफ में डीआईजी बने

**जयपुर।** संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर जयपुर निवासी नगेंद्र शर्मा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में वरिष्ठ कमांडेंट से पदोन्नत कर उपमहानिरीक्षक बनाया गया है। यूपीएससी 2004 बैच में चयनित नगेंद्र शर्मा ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई राज्यों और संवेदनशील स्थानो पर अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में नगेंद्र शर्मा प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं एनडीआरएफ में दे रहे हैं और भुवनेश्वर में पदस्थापित हैं और आपदा के प्रति संवेदनशील उडीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य से संबंधित आपदा प्रबंधन का दायित्व देख रहे है। वर्ष 2024 में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के मद्देनजर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक भी प्रदान किया गया है।

# कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है : मुख्यमंत्री

- जालौर की जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने ली कांग्रेस पर चुटकी ली
- हम विद्यालयों में लगवा रहे हैं कैम्प, कांग्रेसी इनमें जाएं और आंखों की जांच कराएं : मुख्यमंत्री

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2 साल में हमने इतने काम कर दिए जितने कांग्रेस ने पांच साल में भी नहीं किए। जब मैं कांग्रेस के लोगों को इन कामों को बताता हूं तो इनको दिखता नहीं है और कहते हैं कि विकास कहां है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का कांग्रेस का काम है। अगर आपके पास आंकडे हैं तो बताइए आपने कितना काम किया और हमने कितना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर विद्यालय में आंखों के कैम्प लगवा रही है जिसमें आंखों की जांच भी होगी और चश्मा भी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि वो भी इन शिविरों में जाएं और आंखों की जांच कराएं, आवश्यकता होने पर चश्मा भी लें जिससे उनको दो साल का विकास दिख जाएगा।

# नेशनल हैराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

## पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, धक्का-मुक्की में कई घायल

**जयपुर** (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च का आव्हान किया गया था, परंतु पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होती रही। जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कर रहे थे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे। जहां बैरिकेड्स पार करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मनीष यादव का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए।

- आधे घंटे के हंगामे के बाद डोटासरा व जूली के साथ कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, मनीष यादव, विद्याधर चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को बसों में भरकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। जहां कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ की गई। लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। जिससे सच्चाई सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी। उन्होंने इसे सत्य की जीत और सरकार के लिए करारा जवाब बताया।

प्रतर्वन निदेशालय के कथित दुरूपयोग के आरोप के साथ भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जयपुर में शहीद स्मारक पर रोका।

# मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आज करेंगे शुभारंभ

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित होटल मैरियट में इस कॉनक्लेव का शुभारंभ करेंगे। शर्मा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव में राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन व 'मेरी लाइफ-सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट' पोस्टर का विमोचन करेंगे। इस दौरान संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गत दो वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ डूइंग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किए है। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सम्मति संचालन तंत्र में ऑटो-रिन्यूअल सुविधा की शुरूआत की गई है।

# कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही : जोगाराम पटेल

- कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ, जनता राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी : बालमुकुंदाचार्य

**जयपुर** (कासं)। संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेसी नेताओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था।

पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस, भाजपा सरकार की 'राइजिंग राजस्थान' पहल पर भी अनावश्यक सवाल उठा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में साहस है तो वह 'राइजिंग राजस्थान' के तहत हुए कार्यों और निवेश प्रस्तावों का खंडन करके दिखाए।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी कमियां हैं। न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं। कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि अनुसार पूरा किया जाए। इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामला समाप्त हुआ है।

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता अब कांग्रेस की नकारात्मक, भ्रम फैलाने वाली और राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है। कांग्रेस को यह भय सताने लगा है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। इसी डर के कारण कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है, कभी वोटर लिस्ट को दोष देती है और अब तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है।

# मांगलियावास में एलपीजी टैंकर से अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई

## एक एलपीजी टैंकर, एक लोडिंग टेंपो सहित 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त

**अजमेर,** (निसं)। हाईवे स्थित होटलों पर अवैध गैस रिफिलिंग का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी के दिशा-निर्देशों पर अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मांगलियावास थाना क्षेत्र में एनएच-48 पर सराधना स्थित होटल पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक एलपीजी गैस टैंकर, एक लोडिंग टेंपो सहित 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। मामले की सूचना रसद विभाग को भी दे दी गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस ने मांगलियावास थाना क्षेत्र में सराधना स्थित होटल पर टैंकर से सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार गत दिनों भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए एक अन्य होटल से गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त सिलेंडर जब्त किए थे, इसके बावजूद अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं। मांगलियावास थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि सराधना स्थित होटल बालाजी पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देर रात करीब एक बजे मौके पर पहुंचकर दबिश दी। वहां एलपीजी गैस टैंकर के माध्यम से सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से गैस टैंकर को कब्जे में लेते हुए एक लोडिंग टेंपो तथा 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गैस कहां से लाई गई थी, किन उपभोक्ताओं या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक इसकी आपूर्ति की जा रही थी तथा इस अवैध धंधे में कितने लोग शामिल हैं।

- मौके पर एलपीजी गैस टैंकर के माध्यम से सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी

**पिछले दिनों भी हुई थी कार्रवाई :-** मांगलियावास थाना क्षेत्र में इससे पहले भी अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद से एनएच-48 पर गैस रिफिलिंग और अवैध भंडारण की गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई थी। हाल ही में एनएच-48 स्थित होटल जयपुर गोल्डन पर जिला स्पेशल टीम ने छापा मारकर बड़े स्तर पर अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण का खुलासा किया था। उस कार्रवाई में दो पिकअप वाहन, एक गैस टैंकर, एक लोडिंग टेंपो, 115 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, एक घरेलू गैस सिलेंडर तथा रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अलावा एक पिकअप वाहन में डीजल भी मिला था, जिसे जब्त किया गया।

पुलिस के अनुसार हाईवे किनारे कुछ ढाबों और होटलों की आड़ में गैस रिफिलिंग का संगठित नेटवर्क सक्रिय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध गैस रिफिलिंग से आगजनी और विस्फोट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

# बंद मकान के ताले तोड़ चार लाख का सामान चोरी

सांभर में चोरी की वारदात के बाद मकान में सामान बिखरा पड़ा है।

**सांभरझील,** (निसं)। यहां खटीकों की हथाई के नजदीक बड़ा बाजार स्थित घनी आबादी के बीच बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर चोरों ने करीब चार लाख रुपए के समान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना विनोद साहू पुत्र रामचंद्र साहू के मकान में हुई जो लंबे समय से काम के लिए जयपुर रहते हैं।

परिवार के सदस्य आशीष साहू ने बताया कि हमारी ताई जी पांच-छह रोज में एक बार अपने काम के सिलसिले में सांभर आकर इसी मकान में ठहरती है अपना काम निपटाकर वापस जयपुर चली जाती है। अभी 2 दिन पहले ही सांभर आई थी। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ताला टूटा देखा तो इसकी इत्तला परिवारजन को दी। बताया कि चोर मकान में गेट कूदकर अंदर चले गए और सीढ़ियों का दरवाजा उतार कर अंदर प्रवेश कर गए, जहां नीचे व ऊपर स्थित कमरों का ताला तोड़ा और घर में रखा समान चोरी कर ले गए।

पीड़ित ने बताया कि एक तोला सोने के टॉपिस, 3 पायजेब, 1 सोने का मांडलया, 2 कड़े चांदी के, 1 चांदी की चेन के अलावा 14 हजार नकदी भी चुरा कर ले गए। मकान बंद होने के कारण चोरों ने तसल्ली से सामान को बिखरा और पूजा स्थल में रखी चांदी की गाय की मूर्ति जरूर छोड़ दी, बाकी तीन-चार सिक्के बताए गए हैं वह नहीं मिले। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची लेकिन देर शाम तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आशीष ने बताया कि यह ऐसा घनी आबादी वाला इलाका है जहां तक मेरी जानकारी में है आज तक कभी चोरी नहीं हुई लेकिन यह तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। इससे आसपास के रहने वाले लोगों में अब दहशत पैदा हो गई है।

# चोरी की 15 बाइक सहित एक आरोपी गिरफ्तार

प्रताप नगर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया।

**भीलवाड़ा,** (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी दीपक खटीक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है।

प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी ने 5 नवंबर को सिद्धी प्लाजा गंगापुर चौराहे से मुकेश शर्मा की हीरो स्पेंलडर मोटरसाइकिल चोरी की थी।

पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी दीपक खटीक (20) उर्फ दीपसा निवासी खटीक मोहल्ला, थाना भिनाय, जिला अजमेर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह, आशीष मिश्रा, शंभु लाल और अन्य अधिकारी शामिल थे।

# बारां मेडिकल कॉलेज को देहदान मिला

**कोटा,** (निसं)। बूंदी जिले के एक छोटे से गांव अड़ीला के निवासी और शिक्षाविद् छोटू लाल बाथरा ने अपनी मृत्यु को भी जीवनदान में बदल दिया। उनके पार्थिव शरीर के दान से बारां मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कॉलेज को अपनी स्थापना के बाद पहली बार एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए कैडेवर (पार्थिव देह) प्राप्त हुआ है।

अड़ीला गांव के त्रिमूर्ति बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक छोटू लाल बाथरा का मंगलवार शाम कोटा में आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद शोकाकुल परिवार ने विलाप करने के बजाय उनकी अंतिम इच्छा को सर्वोपरि रखा। कापरेन शाखा के संरक्षक एवं ग्राम विकास प्रोजेक्ट के पूर्व नेशनल सेक्रेट्री ललित कुमार टेलर ने बताया कि बाथरा ने देहदान का संकल्प पत्र भरा था। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए शाईन इंडिया फाउंडेशन के डॉ.कुलवंत गौड़ और कापरेन शाखा ने तत्काल मोर्चा संभाला। पहले कोटा में उनका नेत्रदान संपन्न हुआ और फिर उनकी देह बारां मेडिकल कॉलेज लाई गई।

# सड़क हादसे में भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल सहित दो गनमैन घायल

## विधायक की कार को प्याज से भरे ट्रक ने साईड से टक्कर मार दी थी

**कोटा,** (निसं)। नान्ता थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से झालावाड़ के डग से भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल सहित दो गनमैन सड़क हादसे में घायल हो गये। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक की कार को प्याज से भरे ट्रक ने साईड से टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम एवं पुलिस उपअधीक्षक मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि हादसा नान्ता इलाके में हुआ, भाजपा विधायक की कार को साईड से एमपी नम्बर के ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल विधायक कालूराम मेघवाल और दो गनमैन मनीष और सुरेश को चोटें आई, सभी को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

सड़क हादसे में घायल भाजपा विधायक कालूलराम मेघवाल का अस्पताल में उपचार किया।

नान्ता थानाधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि डग विधायक कालूराम मेघवाल दो गनमैन के साथ कार से जयपुर की ओर जा रहे थे, एमपी नम्बर का ट्रक हैंगिग ब्रिज की तरफ जा रहा था, शंभूपुरा तिरोह पर विधायक की कार जैसे ही जयपुर जाने के घूमी तो ट्रक ने कार को साईड से टक्कर मार दी। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में घायल सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मौके से ट्रक को जप्त कर चालक की तलाश जारी है।

# आहोर में मुख्यमंत्री की सभा में प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई को नहीं मिली तवज्जो

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में नाराज के.के. विश्नोई गले में काला गमछा पहनकर मंच पर बैठे नजर आये

**जालोर,** (कासं)। जालोर के निकट आहोर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शहरी व ग्रामीण समस्या समाधान शिविर एवं विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री के. के . विश्नोई को तवज्जो नहीं मिली। वहीं नाराज विश्नोई गले में काला गमछा पहनकर मंच पर बैठे नजर आये। वही सीएम के आगमन के चलते आहोर में करोड के भूमि घोटाला की पोल नहीं खुले जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को घर पर ही नजरबंद कर दिया।

- वहीं सीएम के आगमन के चलते आहोर में करोड के भूमि घोटाला की पोल नहीं खुले जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को घर पर ही नजरबंद कर दिया

आहोर में मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर इस बार मंच पर भी चुंनिदा नेताओं को ही बैठने दिया गया। प्रभारी मंत्री के .के .विश्नोई का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होने से मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही सम्बोधन के लिए बुलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के बाद किसी प्रकार की कोई तवज्जो नही दी गई। प्रभारी मंत्री को ना तो माला, साफा व किसी प्रकार से स्वागत व सम्बोधन के लिए बुलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रभारी मंत्री से ज्यादा किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं की। वही नाराज प्रभारी मंत्री विश्नोई गले में काला गमछा डाले बैठे रहे, जबकि मुख्यमंत्री की सभा में आने वाले हर व्यक्ति से काली चीज बाहर ही उतरवाई व डलवाई गई। वहीं एक व्यक्ति का काला शर्ट ही उतरवा दिया, वह व्यक्ति बनियान में सभा स्थल पहुंचा। जहां सभा स्थल पर किसी प्रकार की काली वस्तु लेने जाना प्रतिबंधित रखा था, वही दूसरी तरफ प्रभारी मंत्री भाजपा का गमछा गला में डालने की बजाय विरोध का प्रतिक काला गमछा डालकर मंच पर बैठे रहे।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को नजरबंद किया गया। शिव सेना जिला प्रमुख रुपराज आहोर में नगरपालिका की सरकार की करोड़ों की भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनके इस मुद्दों को रखने से रोकने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुबह ही रुपराज राजपुरोहित के घर पर पुलिस भेजकर मुख्यमंत्री की सभा में जाने से रोका गया। सीएम की सभा तक रुपराज को घर पर ही पुलिस ने नजरबंद कर रखा। ऐसे में नजरबंद करना लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वही सीएम की सभा में भीड़ लाने के लिए नरेगा श्रमिकों को लाना पड़ा।

वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में जालोर की जीवन रेखा व लम्बे समय से सघर्ष कर रहे किसानों की मुख्य मांग जवाई बांध पर जालोर का हक तय करने सहित जवाई पुर्नभरण पर किसी प्रकार की बात नहीं कही।

# दो गिरफ्तार

**कोटा,** (निसं)। कुन्हाड़ी इलाके में झपट्टा मारकर कोचिंग छात्र से मोबाइल छीनने के दर्ज मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को निरूद्ध किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 14 अन्य मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 15 दिसम्बर को महाराष्ट्र हाल लेंडमार्क सिटी निवासी एक कोचिंग छात्र ने कुन्हाड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। कोचिंग छात्र ने रिपोर्ट में कहा कि रूम पर जाते समय रास्ते में पीछे से बाइक पर दो लड़के आये और मोबाइल पर झपट्टा मारकर छीनकर ले गये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी कोचिंग छात्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने घटनास्थल के आस-पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चैक किये। शहर एसपी ने बताया कि टीम ने बापूनगर बालिता रोड़ निवासी विजय (21) एवं बालिता रोड़ कुन्हाड़ी निवासी आकाश अहिरवार (19) को बीमार्ट के पास कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया।

# राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं : दिया कुमारी

**जोधपुर,** (कासं)। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई नई नीतियां लागू की हैं, जिससे विकास को गति मिली है। इसका लाभ प्रवासियों को भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रही थी।

- उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की

उप मुख्यमंत्री ने सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के परिश्रम से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 में विकसित राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दस दिसंबर को मनाए गए प्रवासी राजस्थानी दिवस के बाद अब समय आ गया है कि प्रवासी अपनी मातृभूमि राजस्थान लौटें और यहां निवेश करें। प्रवासियों के निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम के स्वागत में मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा सहित अन्य पदाधिकारी, समाज के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री एयरपोर्ट से मारवाड़ जंक्शन रवाना हुईं, जहां सिरियारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई।

# चयनित आरएएस निर्मल वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत

**बौंली-बामनवास,** (निसं)। बरनाला तहसील के स्थित बैरखंडी गांव के निवासी नव चयनित आएएस अधिकारी निर्मल कुमार वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत को हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने बुधवार को भाड़ौती-मथुरा मेगा हाईवे पर स्थित बैरखंडी गेट पर 50 लाख रुपए मुआवजे एक स्थाई नौकरी एवं दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जाम लगा दिया।

हत्या की आशंका को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने जाम लगाया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को आरएएस अधिकारी निर्मल कुमार वर्मा (25) एवं उनका साथी अमृत कुमार (16) निवासी बैरखंडी मलारना डूंगर अपने कार्यालय से अपने गांव की ओर जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आरएएस परीक्षा रैंक 1271 में चयनित की मौके पर ही मौत हो गई एवं साथी अमृत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मलारना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव एवं घायल को लेकर मलारना डूंगर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर घायल अमृतलाल को सवाई माधोपुर रैफर किया गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने बैरखंडी गेट मेगा हाईवे पर 50 लाख रुपए का मुआवजा एवं एक स्थाई नौकरी व सड़क दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जाम लगा दिया।

जाम की सूचना पर मलारना डूंगर एवं बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों व परिजनों से समझाइस की कोशिश की, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना के बाद बामनवास एसडीएम प्रियंका कंडेला, मलारना डूंगर एसडीएम संतोष कुमार, बरनाला तहसीलदार भगवान सहाय मौके पर पहुंचे एवं कई दौर की समझाइस के बाद करीब 4:30 बजे ग्रामीण व परिजनों में वार्ता होने पर जाम खोल दिया एवं शव को मलारना डूंगर चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

# अजमेर : ख्वाजा गरीब के 814वें उर्स की शुरुआत

**अजमेर,** (निसं)। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814 वें सालाना उर्स की औपचारिक शुरुआत बुधवार को दरगाह शरीफ के ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ हुई। यह रस्म सूफी परंपराओं के अनुसार शानो शौकत, अकीदत और रूहानी माहौल में अदा की गई। झंडे की रस्म असर की नमाज के बाद हुई, दरगाह के बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा सैकड़ों जायरीन व खादिमों की मौजूदगी में अदा की गई। अब चांद दिखाई देने पर 21 या 22 दिसंबर से उर्स की विधिवत धार्मिक रस्मे शुरू होंगी। छह दिवसीय उर्स के दौरान जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोला जाएगा।

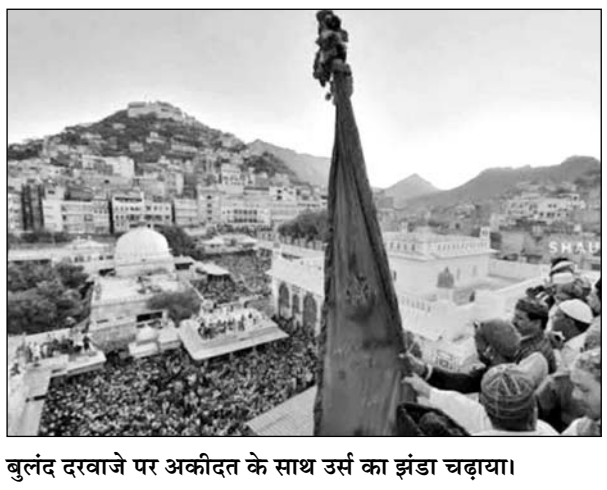

बुलंद दरवाजे पर अकीदत के साथ उर्स का झंडा चढ़ाया।

खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि सदियों पहले संदेश देने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, उस समय झंडे चढ़ाकर संदेश दिया जाता था। उर्स में झंडा चढ़ाने की परंपरा अफगानिस्तान के बादशाह ने शुरू की थी, इसके बाद गौरी परिवार नियमित रूप से झंडे की रस्म निभाता चला आ रहा है। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार के फखरुद्दीन गौरी और सैयद मारूफ अहमद की सदारत में बुधवार शाम को असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना हुआ। जुलूस के आगे ढोल ताशे और कव्वाली गाते हुए शाही कव्वाल चल रहे थे, जुलूस में खादिम समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। जुलूस में बैंड-बाजे सूफियाना कलाम की मधुर धुन बजाते चले। जुलूस दरगाह के गेस्ट से शुरू हुआ, जो लंगर खाना गली, नला बाजार होता हुआ दरगाह के निजाम गेट में पहुंचा। झंडे को चूमने और छूने के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। तोपों की आवाज के साथ और शाहजहांनी गेट की छत पर शादियाने बजने के साथ बुलंद दरवाजे पहुंचने पर गौरी परिवार द्वारा परंपरा के अनुरूप झंडे को फहराया। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। तोपों की आवाज संग जुलूस आगे बढ़ा। शाहजहांनी गेट की छत पर शादियाने बजाए गए। झंडे की रस्म के साथ उर्स की औपचारिक शुरुआत हो गई। अब अकीदतमंद की आवक धीरे-धीरे बढ़ेगी। रजब का चांद दिखाई देने पर अब उर्स की विधिवत शुरुआत 21 या 22 दिसंबर से होगी। इसके साथ ही दरगाह में अकीदतमंद की संख्या बढ़ती चली जाएगी। उर्स के दौरान विभिन्न रसूमात और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

- भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने निभाई परंपरा, चांद दिखाई देने पर छह दिवसीय उर्स की औपचारिक शुरुआत 21 या 22 से होगी

चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड 25.20 करोड रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।- **आर अश्विन**

**पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन को लेकर बोलते हुए।**




**आज का खिलाड़ी**



## लियोनेल मेस्सी

**अर्जेंटीना**- के फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अपने इंडिया टूर के समापन के बाद भारत के प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इस टूर में खूब मस्ती हुई और कुछ यादगार क्रॉसओवर पूरे देश में ट्रेंड कर रहे थे। अपने इंस्टाग्राम पर मेस्सी ने लिखा, ''नमस्ते भारत! दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं अविश्वसनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौरे के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है!''

**क्या आप जानते हैं ?...** विराट कोहली की 2025 में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने 651 रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

# राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6-0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच खेले गए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ 3-0 से मैच जीता! मैच के 8वे एवं 78 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के 89 वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को 3-0 से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1-0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापक्ति को छकाते हुए शानदार गोल कर के बढ़ते को 2-0 से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढ़त बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के 62 वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइकिल किक से गोल करे के बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद 72 वे मिनट मे नीरज ने और 81 वे मिनट मे मिलन और 82 वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को 6-0 से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ दा मैच चुना गया।

# एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन-1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 240 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं! राज ने 46 और राकेश जांगिड़ ने 39 रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3, मितेश जांगिड़ और नयन माली ने दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली! पुखराज कुमार ने 104 और पंकज जांगिड़ ने 61 रनों का योगदान दिया! केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेंद्र यादव और राहुल सैनी ने दो-दो विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.5 ओवर में 300 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं। आदित्य झाला ने 65, हार्दिक ने 64 और अभिषेक यादव ने 55 रनों का योगदान दिया। कैंडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी कैंडलविक क्रिकेट अकादमी 32 ओवर में 181 रन पर ऑल आउट हो गई! मेहुल सिंह ने सर्वाधिक 59 रनों का योगदान दिया। संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

# जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल किये

जयपुर, 17 दिसम्बर। पीपीसी पोलो ग्राउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को 4.5 के मुकाबले 9 गोल से हराया। आधे गोल का एडवांटेज लेकर खेल रही बेदला पोलो टीम की ओर से सिद्धांत शर्मा ओर फ्रेडरिक ने 2-2 गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से हुर्रे अली ने 1 गोल ओर लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।



## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नया पावर हाउस, बसनी, जोधपुर, वेबसाइट:www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/

**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना**

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 64 के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है।

याचिका की प्रतियां आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/पठन के लिए उपलब्ध हैं और 200 रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती हैं:

1. लाइसेंसधारी का मुख्यालय –न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।
2. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बाड़मेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/बीकानेर/चूरू/जालौर/बालोतरा/फलोदी।

यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/** और आरईसी की वेबसाइट पर भी। **www.rerc.rajasthan.gov.in**

जेडीवीवीएनएल द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सुबह 11:00 बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के सम्मेलन कक्ष में याचिका की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं।

टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम 2021 के प्रपत्र-3 में एक शपथ-पत्र के साथ छह प्रतियों में प्राप्तकर्ता अधिकारी, आरईआरसी, विनियमक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास जमा कर सकते हैं, ताकि यह 06.01.2026 तक प्राप्तकर्ता अधिकारी तक पहुंच जाए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दायर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या 2380/25):

**तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)**

| क्र. | विवरण | जेडीवीवीएनएल | |
|---|---|---|---|
| | | अनुमत | टू अप के लिए दावा किया गया |
| 1 | आय | | |
| 2 | बिजली की बिक्री | 20662 | 20768 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए एफएसए की वसूली | 1437 | |
| 4 | व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री | 0 | 160 |
| 5 | गैर-टैरिफ आय/अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के टू-अप क्रेडिट सहित) | 406 | 1188 |
| 6 | व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय | 1 | 2 |
| 7 | कुल राजस्व (ए) | 22506 | 22118 |
| 8 | व्यय | | |
| 9 | प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत | 16974 | 19995 |
| 10 | संचालन एवं रखरखाव व्यय | 1636 | 1361 |
| 11 | टर्मिनल लाभ | 370 | 1250 |
| 12 | मूल्यह्रास | 706 | 1091 |
| 13 | दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित) | 666 | 1435 |
| 14 | कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 249 | 2584 |
| 15 | विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज | 1981 | |
| 16 | यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो | 0 | 34 |
| 17 | बीमा व्यय | 26 | 0.50 |
| 18 | अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मदों सहित) | 0 | (351) |
| 19 | कुल व्यय (ARR) (B) | 22609 | 27399 |
| 20 | अधिशेष /(अंतर) (C=A-B) | (103) | (5281) |
| 21 | वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान | | |
| 22 | धारा 65 (डी) के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी | 26 | 55 |
| 23 | एफआरबीएम योजना (ई) के तहत हानि अनुदान | 77 | 2485 |
| 24 | अनुदान के बाद राजस्व अधिशेष/(अंतर) (F=C+D+E) | 0 | (2741) |
| 25 | विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी) | 0 | 237 |
| 26 | असाधारण आय/(व्यय) (एच) | 0 | 2789 |
| 27 | शुद्ध राजस्व अधिशेष / (अंतर) (F-G+H) | 0 | (188) |

**तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)**

| क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2026-27 |
|---|---|---|
| 1 | बिजली खरीद व्यय | 18123 |
| 2 | संचालन एवं रखरखाव व्यय | |
| 2.1 | कर्मचारी व्यय | 1373 |
| 2.2 | प्रशासन एवं सामान्य व्यय | 169 |
| 2.3 | मरम्मत एवं रखरखाव व्यय | 549 |
| 2.4 | टर्मिनल लाभ | 1326 |
| 3 | मूल्यह्रास | 1796 |
| 4 | दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित) | 1664 |
| 5 | कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 264 |
| 6 | विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज | 1565 |
| 7 | प्रसारण शुल्क | 2293 |
| 8 | एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी शुल्क | 12 |
| 9 | यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो | - |
| 10 | कुल राजस्व व्यय | 29133 |
| 11 | लाभांश | - |
| 12 | आरओई पर कर | - |
| 13 | कुल राजस्व आवश्यकता | 29133 |
| 14 | घटाएं: गैर-टैरिफ आय | 302 |
| 15 | घटाएं: व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त आय | 3 |
| 16 | घटाएं: क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के मद में प्राप्त राशि | 0 |
| 17 | घटाएँ:व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त रसीद | 0 |
| 18 | खुदरा शुल्क से कुल शुद्ध राजस्व की आवश्यकता (13-14-15-16-17) | 28828 |
| 19 | मौजूदा टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व | 23856 |
| 20 | व्यापार से प्राप्त राजस्व | 790 |
| 21 | विनियामक अधिभार से राजस्व | 2837 |
| 22 | एफपीपीएएस से राजस्व | 474 |
| 23 | पीओसी से प्राप्त राजस्व | 20 |
| 24 | उपयुक्त सरकार से प्राप्त सब्सिडी (हानि सब्सिडी सहित) | 2259 |
| 25 | मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष/(अंतर) (19+20+21+22+23+24-18) | 1407 |
| 26 | टैरिफ युक्तिकरण के बाद बिजली की बिक्री से राजस्व | 23854 |
| 28 | शुल्क युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी) | (2) |
| 29 | टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष (25+28) के लिए अधिशेष/(अंतर) | 1405 |

**तालिका 3: राज्य सीमा अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)**

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2026-27 |
|---|---|
| राज्य सीमा के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू) | 40,532 |

**तालिका 4 वितरण हानियाँ**

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2026-27 |
|---|---|
| वितरण हानि (%) | 13.00% |

**डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रस्तावित की है:**

**तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना और वित्तपोषण के स्रोत (रुपये करोड़ में)**

| क्रमांक | योजना का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | प्रसारण एवं वितरण कार्यक्रम | 1045 |
| 2 | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य | 2044 |
| 3 | आरडीएसएस (बुनियादी ढांचा) | 807 |
| 4 | आरडीएस (आरएमएस और आईटी/ओटी) | 61 |
| 5 | आरडीएसएस (छूटे हुए आरएचएच का विद्युतीकरण) | 142 |
| 6 | आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण) | 775 |
| 7 | कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए दो ब्लॉक आपूर्ति (आरडीएसएस) | 290 |
| 8 | आरडीएसएस (डीए-JUGA और छुटे हुए घरेलु कनेक्शन) | 250 |
| | कुल | 5414 |
| **क्रमांक** | **वित्तपोषण का स्रोत** | |
| 1 | ऋण | 2588 |
| 2 | अनुदान | 1395 |
| 3 | हिस्सेदारी | 1113 |
| 4 | उपभोक्ता योगदान | 318 |
| | कुल | 5414 |

**टिप्पणी:**- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत व्यय 272 करोड़ रुपये है। हालांकि, पूंजी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटेक्स) मोड पर लागू किया जाना है।

**डिस्कॉम ने क्रॉस सब्सिडी शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं:**

**तालिका 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार**

| वर्ग | वोल्टेज (केवी) | सीएसएस (रु./किलोवाट घंटा) |
|---|---|---|
| व्हृद औधोयोगिक | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |
| मिश्रित भार- एचटी | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |
| अघरेलू-एचटी | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |

**तालिका 7: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क**

| विवरण | (रुपये/किलोवाट घंटा) |
|---|---|
| 132 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज | 0.01 |
| 33 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज | 0.11 |
| 11 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज | 0.63 |
| कम वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज | 2.49 |

**तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार**

| विवरण | (रुपये/किलोवाट घंटा) |
|---|---|
| ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा) | 0.00* |

**तालिका 9: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क**

| विवरण | (रुपये/किलोवाट घंटा) |
|---|---|
| ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा) | 0.00* |

* **टिप्पणी:**- डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।

**डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:**

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-3) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:-मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में 650 पैसे (6.50 रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद 6.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर 650 पैसे प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करना और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रुझानों के अनुरूप होना है।
2. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना:डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटें मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और ऑफ-पीक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, ये उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक-घंटे के सरचार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुप्रयोग अनुचित हो जाता है।
3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआतविद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 9 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अनिवार्य किया गया है, जो 31.03.2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7 गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान 1.3 गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वितरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निश्चित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।
4. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव:-डिस्कॉम्स ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में वर्तमान में कहा गया है कि जैसा कि नीचे दिया गया है:

"यदि एमडीआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 11 केवी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।"

डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें "दो बार से अधिक" वाक्यांश को "तीन बार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें "दो बार से अधिक" का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। TCOS-2021 के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से 5% से अधिक मांग होने पर टैरिफ में बदलाव लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकरूपता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

5. 5 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैबों का विलय।:याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा गैर-घरेलू (एनडीएस) टैरिफ संरचना जटिल है और इससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता बढ़ाने और टैरिफ के आवेदन को सरल बनाने के लिए, डिस्कॉम ने 200 यूनिट तक के गैर-घरेलू खपत स्लैब को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, 5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए, डिस्कॉम ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संशोधित एकीकृत टैरिफ संरचना का प्रस्ताव दिया है।

| गैर-घरेलू सेवा | मांग/निश्चित शुल्क (रु.) | ऊर्जा शुल्क (रु./यूनिट) |
|---|---|---|
| 5 किलोवाट तक के एससीएल के लिए एनडीएस | | |
| एनडीएस प्रकार 1 | | |
| प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत | 350 | 7.00 |
| प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत। | | 8.50 |
| एनडीएस प्रकार 2 | | |
| प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत | 450 | 7.00 |
| प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत। | | 8.50 |
| प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत | | |
| एनडीएस प्रकार 3 | | |
| प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत | 700 | 7.00 |
| प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत। | | 8.50 |
| प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत | | |
| प्रति माह 500 यूनिट से अधिक की खपत | | |

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट श्रेणी के लिए निश्चित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करना: डिस्कॉम्स ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निश्चित शुल्क बहुत अधिक हैं। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई लैंप पॉइंट जुड़े होते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम्स पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निश्चित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

| सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट | मांग/निश्चित शुल्क | ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनिट) |
|---|---|---|
| जनसंख्या < 1 लाख | प्रति लैंप पॉइंट 150 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 3000 रुपये के अधीन। | 7.00 |
| जनसंख्या > 1 लाख | प्रति लैंप पॉइंट 200 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 8000 रुपये के अधीन। | 7.50 |

**टिप्पणी:**- याचिका में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

**अधिशाषी अभियंता (RA&C)**
**याचिकाकर्ता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

राज.संवाद/सी/25/15997

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर, वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

**विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 64(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना**

सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62 और 64 सपठित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2019 समयानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2025 तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के अन्तर्गत वित. 2024–25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग–अप, वित. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 200/– के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :–

1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय– विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर।
2. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), अविविनिलिः– ब्लॉक–आई, हाथीभाटा पॉवर हाऊस, अजमेर–305001।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर/ब्यावर/भीलवाडा/उदयपुर/सलुम्बर/झुंझुनू/नागौर/सीकर/चितौडगढ/बांसवाड़ा/राजसमन्द/डूंगरपुर/प्रतापगढ/डीडवाना–कुचामन स्थित कार्यालय।

याचिका **www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl** (अजमेर डिस्काम की वेबसाइट) और आरईआरसी की वेबसाईट **www.rerc.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव्य–दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक 26.12.2025 (शुक्रवार) को सभागार, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर 12 बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते है।

टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति सहायक प्रपत्रों और राविविआ (कार्य सम्पादन) विनियम 2021 के फार्म सं0 3 में शपथपत्र सहित प्राप्ति अधिकारी, राविविआ, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर – 302001 के पते पर 6 प्रतियों में भेज सकते हैं जिससे कि ये प्राप्ति अधिकारी के पास दिनांक 09.01.2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जायें।

वित. 2024–25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग–अप, वित. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2379/2025):–

**सारिणी 1 : वित. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की टू अप का सारांश (करोड़ रू.)**

| क्र. सं. | विवरण | अजमेर डिस्कॉम | |
|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | टू अप के लिये किया गया दावा |
| 1. | राजस्व | | |
| 2. | ऊर्जा विक्रय | 21,496 | 20,926 |
| 3. | वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिये फ्यूल सरचार्ज की वसूली | 1370 | |
| 4. | ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय | 0 | 128 |
| 5. | गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के टू–अप क्रेडिट सहित) | 497 | 843 |
| 6. | विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय | 4 | 3 |
| 7. | कुल राजस्व (अ) | 23,367 | 21,899 |
| 8. | व्यय | | |
| 9. | ऊर्जा क्रय लागत प्रसारण शुल्क सहित | 15,616 | 15,451 |
| 10. | पवस व्यय | 1582 | 1519 |
| 11. | सेवान्त लाभ | 570 | 771 |
| 12. | ह्रास | 701 | 1119 |
| 13. | दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित) | 798 | 895 |
| 14. | कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 158 | 2024 |
| 15. | विनियामक संपत्तियों पर ब्याज | 1489 | |
| 16. | अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो | 0 | (2) |
| 17. | बीमा व्यय | 30 | 1 |
| 18. | अन्य व्यय (उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट सहित) | 315 | 228 |
| **19.** | **कुल व्यय स.रा.आ. (ब)** | **21259** | **22006** |
| **20.** | **अधिशेष /(कमी) (स= अ–ब)** | **2108** | **(107)** |
| 21. | वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान | | |
| 22. | धारा 65 के तहत सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द) | 18 | 0 |
| 23. | एफआरबीएम योजना के तहत् सब्सिडी (ई) | 0 | 0 |
| 24. | सब्सिडी के बाद राजस्व अधिशेष/(कमी) (एफ=स+द+ई) | 2126 | (107) |
| 25. | विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी) | | 134 |
| 26. | असाधारण आय/ (व्यय) (एच) | | 1982 |
| **27.** | **कुल राजस्व अधिशेष/(अन्तर) ट्रूअप (एफ–जी+एच)** | **2126** | **1742** |

**सारिणी 2 : वित. 2026-27 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू. मे)**

| क्र. सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष 2026–27 |
|---|---|---|
| 1. | विद्युत क्रय व्यय | 14464 |
| 2. | पवस व्यय | |
| 2.1 | कर्मचारी व्यय | 1168 |
| 2.2 | प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय | 200 |
| 2.3 | मरम्मत एवं संधारण व्यय | 530 |
| 2.4 | सेवान्त लाभ | 818 |
| 3 | ह्रास | 1663 |
| 4. | दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित) | 1042 |
| 5. | कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 198 |
| 6. | नियामक सम्पत्ति पर ब्याज | 813 |
| 7. | प्रसारण अधिभार | 1830 |
| 8. | एन.एल.डी.सी./आर.एल.डी.सी./एस.एल.डी.सी. अधिभार | 9 |
| 9. | अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो | – |
| **10.** | **कुल राजस्व आय** | **22736** |
| 11. | साम्या पर प्रतिफल | – |
| 12. | साम्या पर कर | – |
| **13.** | **समग्र राजस्व आवश्यकता** | **22736** |
| 14. | घटायें – गैर टैरिफ आय | 546 |
| 15. | घटायें– व्हीलिंग प्रभार से आय | 3 |
| 16. | घटायें–क्रास सब्सिडी से प्राप्तियां | 0 |
| 17. | घटायें– व्हीलिंग पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां | 0 |
| **18.** | **खुदरा दरों से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (13–14–15–16–17)** | **22188** |
| 19. | वर्तमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से आय | 22198 |
| 20. | ट्रेडिंग गतिविधि से आय | 194 |
| 21. | नियामक अधिभार से राजस्व | 2461 |
| 22. | एफपीपीएएस से राजस्व | 415 |
| 23. | पीओसी से राजस्व | 45 |
| 24. | सरकार से सब्सिडी (हानि सहायिकी सहित) | 0 |
| **25.** | **मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिये राजस्व अधिशेष/कमी (19+20+21+22+23+24-18)** | **3125** |
| 26. | टैरिफ युक्तिकरण के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व | 22194 |
| 27. | युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी) | (4) |
| **28.** | **टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष हेतु अधिशेष/(घाटा) (25+27)** | **3121** |

**सारिणी 3 : राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)**

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2026–27 |
|---|---|
| राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.) | 33,419 |

**सारिणी 4: वितरण हानि (%)**

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2026–27 |
|---|---|
| वितरण हानियां (%) | 7.50% |

**डिस्कॉम ने वित. 2026-27 के लिये निवेश योजना निम्नानुसार प्रस्तावित की हैः-**

**सारणी 5 - वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये निवेश योजना तथा निधियन के स्त्रोत (करोड रुपये)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1. | उप प्रसारण व वितरण | 700 |
| 2. | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य | 1520 |
| 3. | आरडीएसएस (इन्फास्ट्रक्चर) | 700 |
| 4. | आरडीएसएस (आईटी/ओटी) | 64 |
| 5. | आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण) | 2242 |
| 6. | आरडीएसएस (डीए–जेजीवाइए) | 21 |
| | कुल | 5248 |
| **क्र. सं.** | **निधियन के स्त्रोत** | **राशि** |
| 1. | ऋण | 1414 |
| 2. | अनुदान | 1828 |
| 3. | अंशपूंजी | 1881 |
| 4. | उपभोक्ता योगदान | 125 |
| | कुल | 5248 |

**क्रॉस सब्सिडी अधिभार, व्हीलिंग प्रभार, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन पॉवर टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव भी डिस्कॉम ने निम्नानुसार दिया है:–**

**सारिणी 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार**

| श्रेणी | वोल्टेज (केवी) | सीएसएस (रू. प्रति यूनिट) |
|---|---|---|
| वृहद श्रेणी | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |
| मिश्रित भार – एचटी | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |
| अघरेलू – एचटी | 132 | 1.75 |
| | 33 | 1.75 |
| | 11 | 1.75 |

**सारिणी 7 : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग प्रभार** (रू. प्रति यूनिट)

| | |
|---|---|
| 132 केवी पर व्हीलिंग प्रभार | 0.01 |
| 33 केवी पर व्हीलिंग प्रभार | 0.11 |
| 11 केवी पर व्हीलिंग प्रभार | 0.63 |
| एलटी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग प्रभार | 2.49 |

**सारणी 8- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार** (रू. प्रति यूनिट)

| | |
|---|---|
| अतिरिक्त अधिभार | 0.47 |

**सारिणी 9 : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित ग्रीन पॉवर टैरिफ**

| विवरण | (रू. प्रति यूनिट) |
|---|---|
| ग्रीन पॉवर टैरिफ | 0.00* |

* **नोटः**– डिस्कॉम ने उन उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है जो डिस्कॉम से ग्रीन पावर लेना चाहते हैं। ग्रीन पावर उसी रेट पर दी जायेगी जो किसी सम्बन्धित श्रेणी के लिये लागू है।

**डिस्कॉम ने याचिका में किसी टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण उपायों की मांग की है:–**

**1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एम.पी./एचटी–3) के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमीः–**

अनुसूची एम.पी./एचटी–3 मध्यम औद्योगिक सेवा के तहत् ऊर्जा शुल्क वर्तमान में रूपये 6.50 प्रति यूनिट निर्धारित हैं। सभी लागू छूटों को शामिल करने के बाद, एचटी–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क रूपये 6.30 प्रति यूनिट निर्धारित होता है। डिस्कॉम प्रस्तावित करता है कि एचटी–3 उपभोक्ताओं के लिये सभी छूटों के बाद न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को 6.00 रूपये प्रतियूनिट तक संशोधित किया जाए, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर को 6.50 रूपये प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रखा जाए। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस संशोधन का लक्ष्य राज्य में सामर्थ्य बढ़ाने और औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने हेतु निर्धारित किया है। यह संशोधन प्रचलित बाजार स्थितियों और आपूर्ति प्रवृत्तियों की लागत तथा याची की वित्तीय व्यवहार्यता की सुनिश्चितता को ध्यान में रख किया है।

**2. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये टॉइम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ हटानाः–**

डिस्कॉम सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग उपभोक्ता श्रेणी के लिये टॉइम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ की प्रयोजकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग स्थापनाएँ मुख्य रूप से शाम और रात के शुरूआती घंटों में, आम तौर पर सूर्यास्त से लेकर मध्यरात्रि या सुबह जल्दी तक होती है और लोड को ऑफ–पीक समय में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जो टीओडी टैरिफ का मुख्य हिस्सा है। इसलिये, इन उपभोक्ताओं को न तो सोलर घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का फायदा मिलेगा और न ही वे पीक आवर सरचार्ज से बच पायेंगे, जिससे टीओडी एप्लीकेशन पीएसएल श्रेणी के लिये असमान हो जायेगी।

**3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिये सिंगल–पार्ट टैरिफ की शुरूआतः–**

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिये दिशा–निर्देश 2024 जारी किये है। इन दिशा–निर्देशों का बंध 9 की गाइडलाइंस में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिये सिंगल पार्ट टैरिफ जो कि 31.03.2028 तक सप्लाई की औसत आपूर्ति लागत यथा सोलर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7xऔसत आपूर्ति लागत और नॉन–सोलर घंटों के दौरान 1.3xऔसत आपूर्ति लागत पर कैप होगा, की अनिवार्यता की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लागू मौजूदा स्थायी शुल्कों को हटाकर एकल–भार टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव करता है।

**4. विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–2025 की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्तावः**

विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–2025 की परिभाषा 17 वर्तमान में यह वर्णित करता हैः–

अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक पाये जाने पर एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार मांग 50 केवीए से अधिक होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिए जाने के दो माह की अवधि के अन्दर–अन्दर 11 के.वी. पर आपूर्ति लेनी होगी, जिसमें विफल होने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति के टैरिफ के नियम 17 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ''दो से ज्यादा'' वाक्यांश को 'तीन' से बदला जाए। मौजूदा शब्दों में अस्पष्टता है इसमें 'दो से ज्यादा बार' का जिक्र है, जबकि तीसरे बार होने पर कार्रवाई की जरूरत है। टीसीओएस–2021 का बंध 4.8(b) निर्दिष्ट करता है कि अगर एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार अधिकतम डिमाण्ड 5 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है, तो चेंज ओवर लागू होगा। इसलिये डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को टीसीओएस के साथ मिलाने से स्पष्टता, निरंतरता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी।

**5. 5 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिये गैर–घरेलू श्रेणी में स्लैब का विलयः**

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिये मौजूदा टैरिफ संरचना में कुछ जटिलताएँ है, जिससे परिचालन संबंधी चुनौतियाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता और सरल टैरिफ अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम 200 यूनिट तक की खपत के लिये गैर–घरेलू स्लैब को एक एकल स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव करता है। डिस्कॉम द्वारा 5 किलोवाट तक की स्वीकृत संबद्ध भार वाले एनडीएस श्रेणी के लिये संशोधित टैरिफ संरचना प्रस्तावित है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित हैं:

| अघरेलू सेवा | संविदा/स्थाई प्रभार | ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट) |
|---|---|---|
| अघरेलू 5 किवा तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार | | |
| अघरेलू प्रकार–1 | | |
| प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग | 350 | 7.00 |
| प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग | | 8.50 |
| अघरेलू प्रकार–2 | | |
| प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग | 450 | 7.00 |
| प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग | | 8.50 |
| प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग | | |
| अघरेलू प्रकार–3 | | |
| प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग | 700 | 7.00 |
| प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग | | 8.50 |
| प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग | | |
| प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक तक उपभोग | | |

**6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा की पुनः शुरूआतः**

डिस्कॉम प्रस्तुत करता है कि विव 2025–26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये मौजूदा स्थाई प्रभार बहुत ज्यादा हो गया हैं। यह स्थिति पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से नगर पालिकाओं और सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग व्यवस्था के लिये जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकरणों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं के पास एक सेवा कनेक्शन से जुड़े कई लैंप पॉइंट होते हैं तथा ऐसे उपभोक्ताओं के लिये स्थाई प्रभार प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर परिकल्पित किये जाते है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिये, डिस्कॉम्स सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये सेवा कनेक्शन स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखता हैं। इस उपाय का उद्देश्य डिस्कॉम के राजस्व की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना नगर निकायों के लिये वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को समर्थन मिल सकें।

पीएसएल श्रेणी के लिये प्रस्तावित टैरिफ संरचना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई हैं:

| सार्वजनिक स्ट्रीट लाईट | संविदा/स्थाई प्रभार | विद्युत प्रभार (रू. प्रति यूनिट) |
|---|---|---|
| जनसंख्या एक लाख से कम | 3000/– रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 150 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह | 7.00 |
| जनसंख्या एक लाख या एक लाख से अधिक | 8000/– रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 200 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह | 7.50 |

नोट :– 1. विस्तृत विवरण याचिका में उपलब्ध है।

**अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)**
**याचिकाकर्ता के निमित्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

राज.संवाद/सी/25/15937

# राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की- भजनलाल

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने आहोर में जालोर जिले के 338 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

जालोर/जयपुर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता सहित, विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

शर्मा बुधवार को आहोर (जालोर) में ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज जालोर में 338 करोड रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर में लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात की व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चैक वितरित किए।**

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आहोर में जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए।*

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18 हजार किसानों के खेतों में 10 हजार 432 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।

आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जालोर और आहोर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को रेखांकित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविरों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित, विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक जीवाराम चौधरी सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

## एच वन ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

10,400 से ज्यादा कर्मचारियों की थीं, पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगती, जिसमें वीज़ा शुल्क के रूप में कुल रकम एक अरब डॉलर से भी अधिक हो गई होती।

टाटा को इस अवधि में 6,500 कर्मचारियों के लिए फीस देनी पड़ती, जो नए स्वीकृत एच-1बी कर्मचारियों का 82 प्रतिशत है। वहीं कॉग्निज़ेंट को 5,600 से अधिक कर्मचारियों, यानी 89 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों के लिए यह शुल्क चुकाना पड़ता। भले ही कानूनी चुनौतियों के जरिए इस शुल्क को जल्दी रोक दिया जाए, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीज़ा की मांग में भारी गिरावट आएगी और अधिक कर्मचारियों को विदेशों में ही तैनात किया जाएगा।

इमिग्रेशन वकील जोनाथन वासडेन, जो कई आईटी नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा, हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। डर यह है कि अगर विदेशों में वास्तव में असाधारण प्रतिभा हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अवसर से वंचित रह जाएंगे।

## 'अरे ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

थरूर के खिलाफ कडी कार्रवाई करने का दबाव भी डाला। मनीष तिवारी भी इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका एसआईआर पर पहला भाषण आंखें खोलने वाला और सराहनीय प्रयास था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के रूप में देखा गया।

अब तक राहुल गांधी का रुख यही था कि "अगर पार्टी छोड़नी है, तो आप यह करने के लिए स्वतंत्र हैं", लेकिन लगता है कि हाल के समय में उनका रुख बदल गया है।

# 'दिल्ली में अब बीएस-4 या उससे अधिक स्टैंडर्ड के वाहन ही चलेंगे'

## दिल्ली में प्रदूषण में कटौती करने के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

नयी दिल्ली,17 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी, जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।

न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं, बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।

- **इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पुराने डीज़ल वाहनों व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।**

न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।

## उपराष्ट्रपति ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच संवाद का उद्देश्य आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों को सशक्त करना बताया गया।

## दिल्ली में ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## राहुल गांधी व सोनिया गांधी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर।

इसे गांधी परिवार के लिए एक तरह से "राहत" माना गया, लेकिन भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीया ने इसे "भ्रामक हैडलाइन और दावा" करार दिया, क्योंकि इसमें "कोई राहत नहीं थी।"

मालवीया के अनुसार, अदालत ने "कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यु) ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी नए सिरे से केस को आगे बढ़ा सकता है। एफआईआर के कारण ईडी की दलीलें पीएमएलए के तहत वैध और प्रक्रियागत रूप से मान्य हो जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "असल में, अदालत ने ईडी की चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें प्रक्रिया संबंधी गलतियां थीं, जिनमें पीएमएलए के तहत निर्धारित एफआईआर का नहीं होना भी शामिल था। भाजपा नेता यह तर्क कर रहे हैं। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि गांधी परिवार और उनके सहयोगियों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके एजेएल (नेशनल हैरल्ड का प्रकाशक) पर नियंत्रण प्राप्त किया था, और इसमें 90 करोड़ रुपये के ऋणों का हेरफेर भी शामिल था।

- **जैसा कि विदित ही है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ईडी ने केवल एक व्यक्ति, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग की जाँच शुरु कर दी थी, यह गैर कानूनी है, क्योंकि पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही मनी लॉण्डरिंग कानून के तहत जाँच हो सकती है।**

## 'भारत का ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

और पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

यह पांच दिवसीय दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषित किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी व्यापक आलोचना की थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की बार-बार की विदेश यात्राएं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाती हैं।

## 'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

रैली में यह बात कही, "सेवन सिस्टर्स भारत से अलग कर दी जाएगी।" यह रैली उन लोगों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी के हमले में शामिल थे, और यह दावा किया जा रहा था कि आरोपियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। अब्दुल्ला द्वारा की गई यह उत्तेजक टिप्पणी उस समय आई, जब बाँग्लादेश इस सप्ताह के शुरु में अपना 55वां विजय दिवस मना रहा था। इस बीच, भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है तथा विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, "हम उम्मीद करते हैं कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी, जिससे शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

## 'सबका ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा एक प्रतिशत थी। सभी बीमा कंपनियों और बिचौलियों के लिए अपने नाम में "बीमा" शब्द रखना अनिवार्य होगा।

**मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा,** आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908